



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-2021



केन्द्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India



वार्षिक रिपोर्ट 2020–2021



केन्द्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एंव बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
www.cara.nic.in

विषय सूची

सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कथन

अध्याय 1 : प्रस्तावना	1
1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	1
1.2 कारा की संचालन समिति	2
1.3 शुरू की गई महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां (2020–21)	2
1.4 उप–समितियों का गठन	2
अध्याय 2 : गतिविधियां	3
2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)	3
2.2 प्रशिक्षण और विकास	4
अध्याय 3 : सांविधिक अनुपालन	16
3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 संबंधी सूचना _	16
3.2 शिकायत प्रबंधन	16
3.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर सूचना	16
अध्याय 4 : आंकड़ा आधार	17
4.1 गत तीन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण आंकड़े	17
4.2 राज्य और लिंग–वार दत्तक ग्रहण आंकड़े (देश के भीतर और अंतर–देशीय)	17
4.3 देश और लिंग–वार आंकड़े (भारतीय बच्चों का अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण)	18
4.4 देश में दत्तक ग्रहण का श्रेणी–वार व्यौरा	18
4.5 अंतर–देशीय में दत्तक ग्रहण का श्रेणी–वार व्यौरा	18
अनुलग्नक	19
5.1 परिशिष्ट – क : राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) का राज्य–वार व्यौरा	19
5.2 परिशिष्ट – ख : केयरिंग्स पर पंजीकृत जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयूज) की राज्य–वार संख्या	23
5.3 परिशिष्ट – ग : केयरिंग्स पर पंजीकृत विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएसएज) की राज्य–वार संख्या	24
5.4 परिशिष्ट – घ : प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एएफएएज) की देश–वार संख्या और व्यौरा	25
5.5 परिशिष्ट ड : कारा/म.बा.वि.म. द्वारा विभिन्न पण्धारकों को जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र/परामर्शिकाओं की प्रतियाँ	32
अध्याय 6 : वर्ष 2020–21 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखे	41

इन्दीवर पाण्डेय, आई.ए.एस.
सचिव

INDEVAR PANDEY, I.A.S.
Secretary

Tel. : 011-23383586, 23386731
Fax : 011-23381495
E-mail: secy.wcd@nic.in



भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001

Government of India
Ministry of Women & Child Development

संदेश

मुझे वर्ष 2020–21 के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। दत्तक ग्रहण दत्तक बच्चे और दत्तक परिवार दोनों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव होता है। दत्तक ग्रहण में बालकों को डालने का कार्य सभी चरणों में समयबद्ध तरीके से एक प्रक्रिया द्वारा संचालित होना चाहिए, ताकि दत्तक ग्रहण के योग्य सभी बालकों को दत्तक परिवार मिल सके और उन्हें संस्थाओं में लंबे समय तक न रहना पड़े। अनाथ और निराश्रित बालकों के बाल कल्याण के लक्ष्यों में विभिन्न प्रकार की गैर-संस्थागत सेवाओं के माध्यम से सुरक्षा, परिवार संरक्षण और उनका पुनर्वास शामिल हैं।

विभिन्न प्राधिकरणों और मान्यता प्राप्त अभिकरणों के सहयोग से अनाथ और निराश्रित बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए देश में नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा कारा की स्थापना की गई है। कोविड-19 के दौरान, यह देखा गया कि प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त अभिकरणों ने कठिन परिस्थिति में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कड़ी मेहनत की। कोविड-19 के दौरान बालकों की देखरेख और बालकों को दत्तक माता-पिता को सौंपना एक कठिन काम था, जिसमें कारा ने गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की।

मैंने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में कुछ कमियां देखी हैं, विशेष रूप से हितधारकों द्वारा प्रक्रियात्मक देशी और दत्तक ग्रहण अभिकरणों एवं बाल देखरेख संस्थाओं तक कम संख्या में बच्चों का पहुंचना आदि। मैं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से माता-पिता की देखभाल के बिना रह रहे सभी बालकों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि ऐसा हर बालक प्यार और देखरेख करने वाले परिवार का सुपात्र होता है।

मैं देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए कारा के प्रयासों के साथ-साथ दत्तक ग्रहण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने के प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कारा, राज्य और इसके संबद्ध अभिकरण परिवार के बिना रह रहे बालकों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक उत्साह के साथ कार्य करते रहेंगे।

इन्दीवर पाण्डेय

(इन्दीवर पाण्डेय)
अध्यक्ष, संचालन समिति, कारा
और सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

परिवर्णी शब्द

एआर	: दत्तक ग्रहण विनियमन
एएफएए	: प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण
सीए	: केंद्रीय प्राधिकरण (बाल संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण)
सीएआरए	: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
केयरिंग्स	: बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)
सीसी	: पुष्टि प्रमाण पत्र
सीसीआई	: बाल देखभाल संस्थान
सीडब्ल्यूसी	: बाल कल्याण समिति
डीसीपीयू	: जिला बाल संरक्षण एकक
डीसीपीओ	: जिला बाल संरक्षण अधिकारी
एचएसआर	: गृह अध्ययन रिपोर्ट
आईसीपीएस	: समेकित बाल संरक्षण स्कीम
आईसीटी	: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीएम	: भारतीय राजनयिक मिशन
आईईसी	: सूचना शिक्षा और संप्रेषण
जेजे एक्ट	: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
जेजे मॉडल नियम	: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016
एमआईएस	: प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनओसी	: अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआरआई	: अनिवासी भारतीय
ओएएस	: अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित
ओसीआई	: भारत के विदेशी नागरिक
पीएपी	: भावी दत्तक माता पिता
एसएए	: विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएआरए	: राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
एसएनसी	: विशिष्ट जरुरतमंद बालक

भूमिका

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

- 1.1.1** केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए प्यार करने वाले परिवारों को खोजने के प्रमुख उद्देश्य के साथ अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए जून, 1990 में कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। दिनांक 02 जुलाई, 1998 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 18 मार्च, 1999 को कारा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत करके स्वायत्त दर्जा प्रदान किया। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण ने संस्थागत बच्चों के दत्तक ग्रहण स्थानन में सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त अभिकरणों और प्राधिकरणों की भागीदारी से दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थानन को समर्थकृत किया है।
- 1.1.2** 15 जनवरी, 2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 के माध्यम से, कारा ने देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने, अंतर-राजीय दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने, बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत हेग कन्वेशन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों पर विनियम निरूपित करने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने के लिए सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया है। कारा दत्तक परिवारों के साथ अधिकतम बच्चों को गैर-संस्थागत देखरेख में रखने की महत्वाकांक्षा रखता है। कारा को अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों का संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेशन (1993) के तहत वर्ष 2003 में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया था। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का प्रमुख सदस्य सचिव और सीईओ होता है और इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 37 है।

1.1.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के तहत, कारा को निम्नलिखित कृत्य करना अधिदेशित है :-

- (क) देश में दत्तक ग्रहण को प्रोन्नत करना और राज्य अभिकरणों के समन्वय से अंतरराज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना;
- (ख) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करना;
- (ग) समय—समय पर दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों पर ऐसे विनियमन की विरचना करना जो आवश्यक हो;
- (घ) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों को संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों को कार्यान्वित करना;
- (ङ) दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 37 के अंतर्गत यथा प्रदत्त अन्य कृत्य।

1.1.4 कारा का उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना; भावी दत्तक माता—पिता (पीएपी) को सूचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण; ऑनलाइन पंजीकरण, रेफरल (वरिष्ठता के आधार पर), आरक्षण एवं मिलान प्रणाली और पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन मिलान को समाप्त करना है। नई बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) ने ई—गवर्नेंस के माध्यम से दत्तक ग्रहण में अधिक पारदर्शिता लाने और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।

1.1.5 कारा का विजन ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित हैं, पालन—पोषण एवं देखरेख करने वाले परिवार का पता लगाना है। इसका मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के कार्यकरण में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता—पिता को सुविधाएं प्रदान करना है।

1.2 कारा की संचालन समिति

- 1.2.1** कारा की संचालन समिति का गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के तहत किया गया है। कारा की संचालन समिति की संरचना नीचे दी गई है: –
- (क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष (पदेन);
 - (ख) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधिकरण से संबंधित – सदस्य (पदेन);
 - (ग) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त से संबंधित – सदस्य (पदेन);
 - (घ) एक राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से एक सदस्य;
 - (ङ) विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण से दो सदस्य;
 - (च) एक दत्तक माता—पिता;
 - (छ) एक दत्तक बालक;
 - (ज) कुटुंब कानून में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला एक एडवोकेट अथवा प्रोफेसर;
 - (झ) सदस्य सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

1.3 शुरू की गई महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियाँ (2020–2021)

- 1.3.1** एसएए—सीसीआई लिंकेज : विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएएज) और बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआईज) के बीच लिंकेज की स्थापना माता—पिता की देखरेख के बिना रह रहे प्रत्येक बालक तक पहुंचने के विचार से की गई है। सीसीआईज के अनिवार्य पंजीकरण और लिंकेज के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एसएए—सीसीआई लिंकेज को प्रोत्साहन दिया गया है। कुल पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआईज) 5,926 हैं, जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 5,726 बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 66 में यथा उपबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों से जोड़ा गया है।

- 1.3.2** नया एमईआर मॉड्यूल : उचित विचार—विमर्श और लगातार कड़ी मेहनत के बाद, सुरक्षा सरोकारों हेतु लेखापरीक्षित नया एमईआर मॉड्यूल तैयार किया गया

है, और अब उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए केयरिंग्स पोर्टल पर लाइव है। तथापि, इसका परिनियोजन धीरे—धीरे होगा, ताकि सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों को इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार और प्रशिक्षित किया जा सके। यह मॉड्यूल डॉ शेफाली गुलाटी की अध्यक्षता में एम्स के डॉक्टरों के पैनल द्वारा यथा अनुशंसित निर्धारित मापदंडों के आधार पर डॉक्टरों को चिकित्सकीय रूप से बालकों को वर्गीकृत करने में सहायता करेगा।

1.3.3

कारा हैल्पलाइन : तीन टेली काउंसलर के साथ विभिन्न हितधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के साथ टोल—फ्री हैल्पलाइन नंबर 1800—111—311 शुरू किया गया था। औसतन एक टेली काउंसलर वरिष्ठता से संबंधित और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया, मिलान, मामलों की प्रगति, रेफरल से संबंधित प्रारंभिक प्रश्नों से संबंधित प्रति दिन 200 कॉल का उत्तर देता है। एनओसी, एफआरआरओ, अनुरूपता आदि से संबंधित अन्य मामले भी सामने आते हैं।

1.4

1.4.1 दत्तक ग्रहण संबंधी मुद्दों पर कानूनी पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की उप—समिति का गठन : 15 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक (कार्यसूची मद संख्या 4) में संचालन समिति के निर्णय के अनुसार, वकीलों के प्रशिक्षण हेतु अधिवक्ता सुश्री अपर्णा भट्ट की अध्यक्षता में संसाधन व्यक्तियों की एक उप—समिति का गठन दिनांक 07 फरवरी, 2020 को किया गया था।

1.4.2

दत्तक ग्रहण संबंधी मुद्दों पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों की उप—समिति का गठन: 15 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक (कार्यसूची मद संख्या 8) में संचालन समिति के निर्णय के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण हेतु डा. राजेश सागर की अध्यक्षता में संसाधन व्यक्तियों की एक उप—समिति का गठन दिनांक 20 फरवरी, 2020 को किया गया था। उप—समिति ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का एक पूल बनाने के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

गतिविधियां

2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) नामक ऑनलाइन पोर्टल के साथ सरल बना दिया गया है, जो दत्तक ग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाता है। अब प्रत्येक भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली एसएएज द्वारा बच्चों के ब्यौरों की प्रविष्टियां करने के साथ–साथ पीएपीज द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु पंजीकरण के लिए एक स्वचलित प्रणाली प्रदान करती है। यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शीघ्रता और सहजता को सुगम बनाती है, परिणामस्वरूप कार्यान्वयन अभिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह पक्षकारों का नेटवर्क भी तैयार करती है और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा आधार का रख–रखाव करती है। केयरिंग्स केंद्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर सारा एवं जिला स्तर पर डीसीपीयू द्वारा दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण–पश्च प्रक्रिया पर ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

केयरिंग्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

क) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना;

ख) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को कम से कम करना;

ग) भावी दत्तक माता–पिता को सूचित निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना;

घ) नीति निर्णय में सहायता लेने हेतु डाटाबेस का बुद्धि मता से विश्लेषण प्राप्त करना;

इ) केंद्रीय स्तर पर कारा और राज्य स्तर पर सारा एवं राज्य सरकार द्वारा दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण पश्च प्रक्रिया को ऑनलाइन निगरानी करके दत्तक ग्रहण प्रणाली में सुधार लाना;

च) अध्यवसायी नीति नियोजन के लिए एक डाटाबेस तैयार करना;

छ)

दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल देखभाल संस्थानों के बीच अभिभावकों को माता–पिता की देखभाल के बिना रह रहे बच्चों का पूरा डेटाबेस बनाने हेतु लिंकेज स्थापित करना ताकि उन्हें जल्द से जल्द परिवार में स्थापित किया जा सके;

झ)

बेहतर रूप से मिलान करवाने हेतु बच्चे और माता–पिता की प्रपोफाइलिंग को सक्षम बनाने और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता–पिता को उनके बारे में प्रासंगिक जानकारी और स्थिति ट्रैक करने हेतु सुविधा प्रदान करना।

2.1.4

केयरिंग्स के लाभ—

क)

केयरिंग्स देश में लगभग 463 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, 676 जिला बाल संरक्षण एकक और 34 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों को तथा प्राप्तकर्ता देशों के केंद्रीय प्राधिकरण जैसे अंतराष्ट्रीय निकायों, 65 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों, 49 केंद्रीय प्राधिकरणों और भारतीय राजनयिक मिशनों को भी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

ख)

बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का केन्द्र बन चुकी है और इसने ई–गर्वनेंस टूल के रूप में उत्कृष्टा प्राप्त है और इसे एक ऐसी प्रणाली या प्लेटफॉर्म के रूप में चिह्नित किया गया है जिनके जरिए कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण कार्रवाई की जाएगी।

ग)

केयरिंग्स निम्नलिखित तरीकों से संगठन को लाभ प्रदान करती है—

ग)

विभिन्न स्तरों पर विलंब को समझने और प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी;

(ii)

समयबद्धत तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए डाटा विश्लेषण;

(iii)

केयरिंग्स पर दत्तक ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण;

(iv)

भावी दत्तक माता–पिता का ऑनलाइन पंजीकरण;

(v)

विशेष जरूरतों वाले बच्चों का शीघ्र स्थापन;

(vi)

ऑनलाइन चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (एमईआर);

- (viii) एसएए के साथ लिंकेज के माध्यम से अन्य सीसीआईज में स्थापित बच्चों का दत्तक ग्रहण;
- (ix) घरेलू दत्तक ग्रहण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

2.1.5 विभिन्न संचालात्मक मॉड्यूल :

- (क) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए देश में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (ख) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों के अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (ग) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए देश में नातेदारी दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।
- (घ) सारा, डीसीपीयू, एएफएए और कारा के लिए देश में नातेदारी दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (ङ) भावी दत्तक माता-पिता, सारा, डीसीपीयू और कारा के लिए सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए मॉड्यूल।
- (च) शिकायत पोर्टल।
- (छ) अंतर-देशीय भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्थिति का पता लगाने के लिए मॉड्यूल।

2.1.6 केयरिंग्स से संबंधित प्रशिक्षण :

कारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला:- कारा ने तीन दिनों के स्थान पर चार दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली शुरू किया है। सात उत्तर पूर्वी राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अक्टूबर, 2020 के महीने में वर्चुअली आयोजित किया गया था और 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण नवंबर, 2020 के महीने में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण 14 से 17 दिसंबर, 2020 तक आयोजित किया गया था। देश में वर्चुअल प्रशिक्षण सहित इस प्रशिक्षण के कुल लाभार्थी 1300 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

केयरिंग्स के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है और क्षेत्रीय जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता रहा है।

2.2


प्रशिक्षण और विकास गतिविधियाँ :

दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, कारा देश में कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। विवरण नीचे दिया गया है:-

2.2.1

सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला:- कारा ने तीन दिनों के स्थान पर चार दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली शुरू किया है। सात उत्तर पूर्वी राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अक्टूबर, 2020 के महीने में वर्चुअली आयोजित किया गया था और 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण नवंबर, 2020 के महीने में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण 14 से 17 दिसंबर, 2020 तक आयोजित किया गया था। देश में वर्चुअल प्रशिक्षण सहित इस प्रशिक्षण के कुल लाभार्थी 1300 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यशालाएं (शामिल किए गए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र)	स्थान	कार्यक्रम की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड	12 से 15 अक्टूबर, 2020	118
2.	भारत के 11 राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, पंजाब, उत्तराखण्ड	9 से 12 नवम्बर, 2020	100
3.	मध्य प्रदेश और राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	मध्य प्रदेश और राजस्थान	14 से 17 दिसम्बर, 2020	140



12 से 15 अक्तूबर, 2020 – असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम



9 से 12 नवम्बर, 2020 – अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, पंजाब, उत्तराखण्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम



14 से 17 दिसम्बर 2020 – मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम

2.2.2 वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण :— वैश्विक महामारी कोविड-19 की अभूतपूर्व स्थिति के कारण सामूहिक और शारीरिक गतिविधियों के आयोजन में सुविचारित बदलाव किया गया। वर्ष 2020 के लिए नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अंततः रद्द कर दिए गए। सरकार की अनलॉक करने की पहल के साथ, राष्ट्रीय लॉकडाउन

पश्च गतिविधियां, कारा ने 26 मई, 2020 को आयोजित वेबिनार में विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्चुअल आयोजन शुरू किया। निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से वर्चुअली आयोजित किए गए थे :—

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रम की तारीख	भागीदारी
1.	कारा ने देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के बीच बाल देखरेख और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।	22 मई, 2020	सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
2.	दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए और प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए नए प्रोटोकॉल और प्रक्रिया तैयार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 22 मई, 2020 को हुई चर्चा के क्रम में, कारा ने 26 मई, 2020 को चिकित्सा, कानून और सामाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और मौजूदा परिस्थितियों में दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय लेने के लिए एक और वेबिनार का आयोजन किया।	26 मई, 2020	क्षेत्र विशेषज्ञ

3.	राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण परिषद सम्मेलन के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के एएफएएज के दल के साथ वेबिनार	24 जून, 2020	12 एएफएएज
4.	हेग कन्वेशन – अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में अनुचित पद्धतियों का निवारण और समाधान पर कार्यकारी समूह की बैठक की रिपोर्ट पर वेबिनार (एचसीसीएस द्वारा आयोजित)	8 जुलाई से 10 जुलाई, 2020	03
5.	इटली के केन्द्रीय प्राधिकरण के साथ वेबिनार	23 जुलाई, 2020	13
6.	बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए एसएएसीसीआई लिंकेज के महत्व पर राज्यों के साथ वेबिनार	28 जुलाई, 2020	155
7.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम पर अभिविन्यास	16 अगस्त, 2020	47
8.	कोविड-19 महामारी के बीच बाल कल्याण समितियों द्वारा सामाना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का समाधान विषय पर वेबिनार। वेबिनार में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी देखी गई।	20 अगस्त, 2020	177
9.	हरियाणा राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर प्रशिक्षण	26 अगस्त, 2020	48
10.	सिंगापुर उच्च आयोग के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम	26 अगस्त, 2020	05
11.	कोविड-19 महामारी के बीच उनके द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का समाधान के बारे में महाराष्ट्र की 39 बाल कल्याण समितियों के लिए वेबिनार	23 सितम्बर, 2020	100
12.	‘उत्तर पूर्वी राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण’ पर एक वेबिनार आयोजित की गई थी	5 अक्टूबर 2020	165
12.	आंध्र प्रदेश राज्य में केयरिंग्स पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण सत्र पर वेबिनार	8 और 9 अक्टूबर, 2020	50
13.	महाराष्ट्र राज्य में केयरिंग्स पर वेबिनार	22 अक्टूबर, 2020	55
14.	महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण	10 और 11 नवम्बर, 2020	247
15.	चयनित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केयरिंग्स संबंधी प्रशिक्षण	18 नवम्बर, 2020	88
16.	छत्तीसगढ़ राज्य में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर वेबिनार प्रशिक्षण	7 और 8 जनवरी, 2021	60
17.	कारा का वार्षिक दिवस	15 जनवरी, 2021	70
18.	महाराष्ट्र राज्य में केयरिंग्स संबंधी वेबिनार	5 फरवरी, 2021	158
19.	बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट पर वेबिनार (सीएसआर एवं एमईआर)	19 फरवरी, 2021	52
20.	पूर्वी और उत्तरी राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पर वेबिनार	24 फरवरी, 2021 से 20 मार्च, 2021	48
21.	न्यू केयरिंग्स पर वेबिनार प्रशिक्षण	24 मार्च, 2021	93
22.	न्यू केयरिंग्स पर वेबिनार प्रशिक्षण	26 मार्च 2021	94



22 मई, 2020 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वेबिनार



26 मई 2020 को क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ वेबिनार




24 जून, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एफएए के दल के साथ वेबिनार



23 जुलाई, 2020 को इटली के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ वेबिनार



बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए एसएए–सीसीआई लिंकेज के महत्व पर राज्यों के साथ 28 जुलाई, 2020 को आयोजित वेबिनारण




महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम पर 16 अगस्त, 2020 को आयोजित अभिविन्यास



बाल कल्याण समितियों द्वारा सामाना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का समाधान विषय पर 20 अगस्त, 2020 को आयोजित वेबिनार




हरियाणा में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर 26 अगस्त, 2020 को आयोजित प्रशिक्षण




सिंगापुर उच्च आयोजित कार्यकर्ताओं के लिए 26 अगस्त, 2020 को
आयोजित प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम




‘उत्तर पूर्वी राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण’ पर 05 अक्टूबर,
2020 को आयोजित वेबिनार



सारा महाराष्ट्र के लिए 07 और 08 जनवरी, 2021 को आयोजित दत्तक ग्रहण
प्रक्रिया प्रशिक्षण




पूर्वी और उत्तरी राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 24.02.2021 से 23.03.2021 तक आयोजित प्रशिक्षण




कोविड-19 महामारी के बीच उनके द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों का
समाधान के बारे में महाराष्ट्र की 39 बाल कल्याण समितियों के लिए 23 सितम्बर, 2020
को आयोजित वेबिनार



आंध्र प्रदेश के लिए केयरिंग्स पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण पर 09 अक्टूबर, 2020 को
आयोजित वेबिनार



सारा छत्तीसगढ़ के लिए 02 .03.2021 को आयोजित सीएसआर और एमईआर
प्रशिक्षण



2.2.3 मीडिया और प्रचार :— दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 37 (13) के तहत कारा को दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत बाल देखरेख सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए या तो स्वयं या अपने सहबद्ध निकायों द्वारा समर्थन, जागरूकता और सूचना, शिक्षा तथा संचार क्रियाकलाप चलाने के लिए अधिदेश प्राप्त है। वर्ष 2020 के दौरान की गई मीडिया और प्रचार गतिविधियों का अनुवर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

2.2.4 तिमाही फेसबुक लाइव चर्चा :— कारा तिमाही वेब आउटरीच के माध्यम से हितधारकों, विशेष रूप से भावी दत्तक माता-पिता तक पहुंच बना रहा है। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार फेसबुक लाइव चर्चा आयोजित की गई थी। चर्चा की काफी सराहना हुई थी और इन चर्चाओं के माध्यम से कई मुद्दों का सीधे समाधान किया गया था। लाइव सत्रों के दौरान रिकार्ड की गई आउटरीच का उल्लेख नीचे किया गया है :—

क्र. सं.	कार्यक्रम की तारीख	पहुंच बनाए गए व्यक्ति / भागीदार/उत्तर दिए गए प्रश्न
1.	10 जून, 2020	(क) पहुंच बनाए गए कुल व्यक्ति – 7947 (ख) कुल भागीदारी – 1483 (ग) उत्तर दिए गए कुल प्रश्न – 257
2.	19 अगस्त, 2020	(क) पहुंच बनाए गए कुल व्यक्ति – 10093 (ख) कुल भागीदारी – 1723 (ग) उत्तर दिए गए कुल प्रश्न – 146
3.	25 नवम्बर, 2020	(क) पहुंच बनाए गए कुल व्यक्ति – 5581 (ख) कुल भागीदारी – 1458 (ग) उत्तर दिए गए कुल प्रश्न – 46


2.2.5 अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह—नवंबर 2020

नवंबर माह अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह का विषय “दिव्यांग और बड़े बच्चों का दत्तक ग्रहण” है। नवंबर 2020 के अंतर्राष्ट्रीय माह के

दौरान अंतर्निहित विषय “दिव्यांग और बड़े बच्चों का दत्तक ग्रहण” को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई और निष्पादित की गई थी। विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वेब व्याख्यान और वेबिनार किए गए।

क्र.सं.	विवरण	कार्यक्रम की तारीख	आउटरीच
1.	माह के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आईईसी सामग्री (पोस्टर श्रृंखला) के माध्यम से प्रचार-प्रसार	01 से 30 नवम्बर, 2020	146143
2.	दत्तक ग्रहण कानूनों पर वेब व्याख्यान	10 नवम्बर, 2020	250
3.	दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर वेब व्याख्यान	17 नवम्बर, 2020	746
4.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दिव्यांग और बड़े बालकों के दत्तक ग्रहण पर वेबिनार	19 नवम्बर, 2020	63
5.	# मेरी कहानी – दत्तक माता-पिता और दत्तकों के अनुभवों पर अंतःक्रिया सत्र	24 नवम्बर, 2020	1664
6.	फेसबुक पर प्रश्नोत्तर सत्र	25 नवम्बर, 2020	5581

7.	दत्तक ग्रहण हेतु मानसिक तैयारी पर वेबिनार	27 नवम्बर, 2020	625
8.	दत्तकग्राही परिवारों के परामर्श पर निमहंसा द्वारा रिकार्ड किए गए प्रश्नोत्तर सत्रों के वीडियोज का प्रसार-प्रचार	27 से 29 नवम्बर, 2020	332
9.	“सीमा पार दत्तक ग्रहण : अनुभवों की साझेदारी” पर अंतर-राष्ट्रीय वेबिनार	08 दिसंबर, 2020	46 (14 आईडीएमएस, 12 केंद्रीय प्राधिकरण और 3 दूतावास)
	कुल आउटरीच		155450




दत्तक ग्रहण कानूनों पर 10 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेब व्याख्यान



दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर 17 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेब व्याख्यान



सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 19 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेबिनार



मेरी कहानी दृ दत्तक माता-पिता और दत्तकों के अनुभवों पर 24 नवम्बर, 2020 को आयोजित अंतःक्रिया सत्र



दत्तक ग्रहण हेतु मानसिक तैयारी पर 27 नवम्बर, 2020 को आयोजित वेबिनार

ADOPTION OF DIVYANG AND OLDER CHILDREN

f Q&A SESSION

facebook

EVENT HOSTED BY

CARA

25th NOVEMBER 2020

25 NOVEMBER, 2020 WEDNESDAY

FROM 11:30 AM - 01:00PM

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT: <https://www.facebook.com/cara.nic.in>

OTHER USEFUL INFORMATION, PLEASE LOG ON TO OUR WEBSITE: www.cara.nic.in

2.2.6 अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण माह 2020 के उत्सव के क्रम में, “सीमा पार दत्तक ग्रहण : अनुभवों की साझेदारी” पर अंतर-राष्ट्रीय वेबिनार 08 दिसंबर, 2020 को अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक आयोजित की गयी थी। सुश्री देबाश्री चौधरी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में वेबिनार की अध्यक्षता श्रीमती श्रीमती रम्मति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने की थी। वेबिनार में श्री. संजय भट्टाचार्य सचिव, सीपीवी और ओआईए, विदेश मंत्रालय; श्री राम मोहन मिश्रा, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; श्रीमती आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्य सम्मानित

Central Adoption Resource Authority wishes all the stakeholders, Social Service Organisations, Prospective Adoptive Parents and Children

Very Happy International Adoption Month 2020

INTERNATIONAL ADOPTION MONTH

www.facebook.com/cara.nic.in

twitter.com/CARAWCO

carahdesk.wcd@nic.in

1800 11 1311

गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिकों ने भागीदारी की थी। वेबिनार में विदेशों के कुल 12 केंद्रीय प्राधिकरणों, 14 भारतीय राजनयिक मिशनों और दिल्ली में स्थित 3 विदेशी दूतावासों ने भाग लिया। फ्रांस और माल्टा के केंद्रीय प्राधिकरण ने अपने विचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया और सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने भी वेबिनार में अपने मुद्दों को उठाया। भारत ने वर्ष 2003 में अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन की अभिपुष्टि की। कारा को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है।



2.2.7 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गतिविधियां :-

दत्तक ग्रहण माह **2020** के समारोह के दौरान राज्यों द्वारा अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। 14 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कारा को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। निम्नलिखित गतिविधियां विशेष रूप से की गईं :—

(क) वेबिनारों का आयोजन, आईईसी सामग्री का वितरण, सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और स्टैंडीज का प्रदर्शन।

- (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर टॉक शो, पैनल चर्चा और फोन-इन कार्यक्रमों का आयोजन।
- (ग) अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों और लेखों के माध्यम से समर्थन प्रयास।
- (घ) दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने और समर्थन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बैठकों और हेल्प डेस्क का आयोजन।

५ अक्टूबर 2020, २८ नवंबर, २०२०

वैतिवा आगरण

विदेशी दंपतियों को पसंद भारतीय संतान, हो रहे निहाल

मुख्य खबर - विदेशी दंपतियों को पसंद भारतीय संतान, हो रहे निहाल

दिल्ली विधायक विजय गुप्ता ने बताया है कि विदेशी दंपतियों को भारतीय संतान पसंद करने की वजह से भारतीय लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका उल्लेख विधायक विजय गुप्ता, उपचारक, राजनीतिक विदेशी दंपतियों को भारतीय संतान पसंद करने की वजह से भारतीय लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका उल्लेख विधायक विजय गुप्ता, उपचारक, राजनीतिक विदेशी दंपतियों को भारतीय संतान पसंद करने की वजह से भारतीय लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसका उल्लेख विधायक विजय गुप्ता, उपचारक, राजनीतिक विदेशी दंपतियों को भारतीय संतान पसंद करने की वजह से भारतीय लोगों की संख्या बढ़ रही है।



बिहार में स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा प्रिट मीडिया कवरेज

AIR Daman
@AIR_Daman

आकाशवाणी दमन
FM 102.3 MHz

वार्तालाप - बालक दत्तक अखण्ड
वक्ता श्री प्रदीपभाई कापुरे
कार्यक्रम अधिकारी, राज्य दत्तक समाधान
अम्बलांगी(RAHA) संघप्रदेश दादरा अने
नगर छवेली तथा दमन, रीव.
कार्यक्रम प्रसाराता
ता. 30.11.2020 साले ५.३० कलावंट

Charmie Parekh and 9 others

2:40 PM · 30 Nov 20 · Twitter for Android

आकाशवाणी दमन पर टॉक शो

National Adoption Month

കേരളീകാർ സാഹ്യദാത്ത സംഘം,
പ്രഭാന്ദുകാവലഭാദ തന്ത്രിക പരിക്കൂട്ടം,
സൈന്റോഫാഷാപ്പാം പ്രകടനം സാദ കൂത്യോദ്ധൂഷണം

സാദിക്കു നാടുവാക്കി സിരാ മാറ്റം
23.11.2020

Kerala Sahayadriya Samajam | സാഹ്യദാത്ത സംഘം

Live Phone-in program

ഒന്നാടക്കമന്ത്രി:
സംഗ്രഹാലോചന?
ഹോരിക്കു...

ശ്രദ്ധിക്കു നാടുവാക്കാൻ സിരാ മാറ്റം ആക്കാൻ
ദിവസം 23.11.2020 - ഓൺലൈൻ ക്രമപര്യാപ്താം
ബന്ധപാട്ട് പ്രവർത്തനം ചേരാൻ പോരുമ്പരിയാം
ഈ - സൈന്റോഫാഷാപ്പാം സ്കൂളിൽ നിന്നും

പുതിയം
10.30 am - 4.00 pm

8281899475, 0471-2342235
keralasara@gmail.com

സാദിക്കു നാടുവാക്കി സിരാ മാറ്റം | സാഹ്യദാത്ത സംഘം

सारा केरल द्वारा आईसी सामग्री (मलियालम में) वितरण

13



दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर दूरदर्शन गिरनार (गुजरात) पर पैनल चर्चा

- 2.2.8 अन्य गतिविधियां :**— रिपोर्ट की अवधि के दौरान कारा में आयोजित विभिन्न अन्य गतिविधियां, कार्यकलाप और कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-
- 2.2.9 कोविड-19 अभियान, अक्टूबर 2020 :-**
रुयूनाइट2फाइटकरोना:- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कारा द्वारा सोशल मीडिया

प्लेटफार्मों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से रोकथाम के तरीके बताने के लिए आम लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु रुयूनाइट2फाइटकरोना के माध्यम एक अभियान शुरू किया गया था। अभियान अभी भी कारा द्वारा चलाया जा रहा है। कारा के कर्मचारियों ने 12 अक्टूबर, 2020 को प्रमुख कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने का संकल्प लिया।





2.2.10 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन : हिंदी पखवाड़े का आयोजन 15 से 30 सितंबर, 2020 तक किया गया था। 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान निवंध लेखन प्रतियोगिता,

स्वरचित कविता पाठ, वाद-विवाद, टिप्पण और प्रारूप प्रतियोगिता, राजभाषा और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।



वैधानिक अनुपालन

3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 संबंधी सूचना

3.1.1 कारा ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री कमल किशोर, उप निदेशक (प्रशासन) को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में, दो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) (प्रशासन प्रभाग और कार्यक्रम प्रभाग के लिए एक-एक) और दो अपीलीय प्राधिकारी (एए) को नामित किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कारा को कुल 101 ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई आवेदन (प्रत्यक्ष/स्थानांतरित मामले) प्राप्त हुए। 101 आरटीआई आवेदनों में से, सीपीआईओ (कारा) ने वर्ष 2020-21 के दौरान 71 आरटीआई आवेदनों (निपटान/स्थानांतरित) पर प्रतिक्रिया की और उनका जवाब दिया। सीपीआईओ (कारा) द्वारा 30 आरटीआई आवेदनों के उत्तर लंबित रहे जिन्हें अगले वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

3.1.3 इसके अलावा, कारा को कुल 02 ऑनलाइन/ऑफलाइन अपील आवेदन प्राप्त हुए हैं, अपीलीय प्राधिकारी (कारा) ने वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी 02 अपील आवेदनों पर प्रतिक्रिया की और उनका जवाब दिया। आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपील आवेदनों का तिमाही-वार विवरण निम्नानुसार है :-

(क) आरटीआई आवेदन :

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त (सीधे/स्थानांतरित मामले) आरटीआईज की संख्या	निपटान/स्थानांतरित की गई आरटीआईज की संख्या	लंबित ऑनलाइन आरटीआईज की संख्या जिन्हें अगली तिमाही के लिए अग्रेषित किया गया
पहली तिमाही	13	06	07
दूसरी तिमाही	40	28	12
तीसरी तिमाही	28	21	07
चौथी तिमाही	20	16	04
कुल	101	71	30

(ख) आरटीआई अपील

तिमाही	ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त (सीधे/स्थानांतरित मामले) अपीलों की संख्या	निपटान/स्थानांतरित की गई अपीलों की संख्या	लंबित ऑनलाइन/ऑफलाइन अपीलों की संख्या जिन्हें अगली तिमाही के लिए अग्रेषित किया गया
पहली तिमाही	01	01	00
दूसरी तिमाही	01	01	00
तीसरी तिमाही	00	00	00
चौथी तिमाही	00	00	00
कुल	02	02	00

3.2 शिकायत प्रबंधन

3.2.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों और उनके उत्तरों का विवरण :-

शिकायत/प्रश्न का प्रकार	प्राप्त शिकायतों/प्रश्नों की कुल संख्या	उत्तर दी गई शिकायतों/प्रश्नों की कुल संख्या
पीएमओ पीजी/सीपी ग्राम	56	56
शिकायतें	6029	6133'
शिकायत अपील	117	145'

*पिछले वर्ष से 104 शिकायतों और 28 अपीलों को अग्रेषित किया गया और चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर दिया गया।

3.3 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर सूचना

3.3.1 कारा में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर एक आंतरिक शिकायत समिति है। समिति में (i) डॉ मीना राधाकृष्ण, अध्यक्ष, (ii) श्रीमती अपर्णा भट्ट, अधिवक्ता (डॉ मीना राधाकृष्ण की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए), (iii) सुश्री सुषमा रामास्वामी, वाईडब्ल्यूसीए, (iv) श्री कमल किशोर, उप निदेशक (प्रशासन) कारा, (v) श्री एस. के. गुप्ता, सहायक निदेशक कारा और (vi) श्रीमती शालिनी पीयूष, वरिष्ठ पेशेवर कारा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.3.2 वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति को कारा के कर्मचारी से एक शिकायत प्राप्त हुई। उस शिकायत का समिति द्वारा विधिवत कार्यवाही के बाद निपटारा कर दिया गया।

आंकड़ा आधार

4.1 गत तीन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण आंकड़े (समेकित) :-

दत्तक ग्रहण	2018–2019	2019–2020	2020–2021
देश के भीतर	3374	3351	3142
अंतर–देशीय	653	394	417

4.2 वर्ष 2020–2021 के लिए राज्य और लिंग–वार दत्तक ग्रहण आंकड़ों (देश के भीतर और अंतर–देशीय) का व्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	देश के भीतर			अंतर–देशीय		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	39	36	75	13	11	24
2.	অসম	36	40	76	3	5	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	3	3	0	0	0
4.	बिहार	29	93	122	5	10	15
5.	चंडीगढ़	5	6	11	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	44	51	95	6	7	13
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	1	2	3	0	0	0
8.	दिल्ली	39	45	84	11	7	18
9.	गोवा	10	11	21	0	0	0
10.	ગુજરાત	48	59	107	3	12	15
11.	હરયાણા	19	16	35	4	5	9
12.	હિમાચલ પ્રદેશ	0	3	3	0	0	0
13.	ઝારખંડ	44	34	78	1	4	5
14.	કર્નાટક	90	137	227	8	21	29
15.	કેરલ	62	65	127	3	7	10
16.	મध्य પ્રદેશ	50	91	141	6	12	18
17.	મહારાષ્ટ્ર	239	354	593	38	37	75
18.	મણિપુર	3	3	6	0	1	1
19.	મેઘાલય	7	10	17	0	1	1
20.	મિજોરમ	8	22	30	5	2	7
21.	નગાર્લೆંડ	10	2	12	5	1	6
22.	ଓଡ଼ିଶା	76	94	170	4	5	9
23.	પுદુચેરી	4	6	10	0	0	0
24.	પંજાਬ	13	33	46	12	12	24
25.	રાજસ્થાન	42	87	129	11	10	21
26.	સિકિમ	11	7	18	0	0	0
27.	તમિલનாடு	137	216	353	11	11	22
28.	તેલંગાના	41	85	126	9	12	21
29.	ત્રિપુરા	4	10	14	0	0	0
30.	ઉત્તર પ્રદેશ	72	125	197	15	27	42
31.	ઉત્તરાખંડ	7	9	16	0	4	4
32.	પશ્ચિમ બંગાલ	96	101	197	10	10	20
	कुल	1286	1856	3142	183	234	417

4.3 वर्ष 2020–2021 के लिए देश और लिंग—वार आंकड़ों का व्यौरा (भारतीय बच्चों का अंतर—देशीय दत्तक ग्रहण)

क्र.सं.	देश	वर्ष 2020–2021 के लिए देश—वार और लिंग—वार आंकड़े (अंतर.देशीय):			
		अंतर—देशीय			
		पुरुष	महिला	अन्य	कुल
1.	ऑस्ट्रेलिया	1	1	0	2
2.	ऑस्ट्रिया	0	2	0	2
3.	बेल्जियम	1	1	0	2
4.	कनाडा	9	15	0	24
5.	डेनमार्क	1	0	0	1
6.	फिनलैंड	0	1	0	1
7.	फ्रांस	3	5	0	8
8.	जर्मनी	1	2	0	3
9.	इटली	37	28	0	65
10.	केन्या	0	1	0	1
11.	लक्जमबर्ग	1	0	0	1
12.	माल्टा	15	10	0	25
13.	न्यूज़ीलैंड	0	2	0	2
14.	फिलीपींस	0	1	0	1
15.	स्पेन	16	18	0	34
16.	स्वीडन	1	0	1	2
17.	स्विट्जरलैंड	2	1	0	3
18.	थाईलैंड	0	1	0	1
19.	यूनाइटेड किंगडम	2	2	0	4
20.	संयुक्त अरब अमीरात	2	16	0	18
21.	संयुक्त राज्य अमेरीका	85	131	1	217
कुल		177	238	2	417

4.4 देश में दत्तक ग्रहण का श्रेणी—वार व्यौरा :—

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित दत्तक ग्रहण	नातेदारी दत्तक ग्रहण	सौतेला दत्तक ग्रहण
2,919	34	6

4.5 अंतर—देशीय में दत्तक ग्रहण का श्रेणी—वार व्यौरा :—

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित दत्तक ग्रहण	नातेदारी दत्तक ग्रहण
399	18

अनुलग्नक

5.1 परिशिष्ट – क

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) का राज्य—वार व्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संबंधित सारा
क.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण निदेशालय कार्यालय अंडमान व निकोबार प्रशासन, दक्षिण अंडमान—744502
ख.	आंध्र प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग कार्यालय चौथा तलए जम्पानी टॉवर्स, लॉज सेंटर के पास, अमरावती रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश—522006
ग.	अरुणाचल प्रदेश	समाज कल्याण विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार पोस्ट बॉक्स नं. 227, नाहरलागुआन, अरुणाचल प्रदेश—271112
घ.	असम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय, असम सरकार, प्रथम तल, मकान नं. 46, सर्वे बस रस्टाप, बेलटोला गुवाहाटी—28, असम
ঙ.	बिहार	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण दूसरा तलए अपना घर, ललित भवन के पीछे, पुनाईचक, बेली रोडए पटना—800023, बिहार
চ.	चंडीगढ़	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण संघ राज्य क्षेत्र बाल संरक्षण सोसाइटी अतिरिक्त टाउन हॉल बिलिंग, तीसरा तल, सेक्टर—17बी, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)
ছ.	ছত্তীসগড়	রাজ্য দত্তক গ্রহণ সংসাধন অভিকরণ মহিলা ও বাল বিকাস নিদেশালয় তীসরা তল, ব্লক—এ, ইন্দিরাবতী ভবন, নথা রায়পুর, রায়পুর, ছত্তীসগড়—492001

ज.	दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बाल संरक्षण सेवाएं डी 1/4, सरकारी वर्कर्स धोलार, मोती, दमन
झ.	दिल्ली	महिला एवं बाल विकास विभाग ५वां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली—110006
ज.	गोवा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय कार्यालय, द्वितीय तल, पुरानी शिक्षा बिल्डिंग, 18 जून रोड, पणजी, गोवा—403001
ट.	गुजरात	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण गुजरात राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी गुजरात सरकार, ब्लॉक—19 द्वितीय तल, पुराना सचिवालय डॉ. जीवराज मेहता भवन, सेक्टर—10/ए, गांधीनगर, गुजरात—282010
ठ.	हरियाणा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार बैस्ट नं. 15—20, सेक्टर—4, पंचकुला, हरियाणा
ड.	हिमाचल प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास निदेशालय का कार्यालय हिमाचल प्रदेश, देवदार सदन हिमलैंड होटल के निकट, शिमला, हिमाचल प्रदेश—171001
ढ.	झारखण्ड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण ए महिला एवं बाल विकास विभाग झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय झारखण्ड सरकार, इंजीनियर होस्टल, द्वितीय तल, सेक्टर—3, धुर्वा, रांची, झारखण्ड—834004
ण.	कर्नाटक	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण निदेशालय बिल्डिंग ए गेट नं. 2, प्रथम तल, एम.एस. बिल्डिंग ए डॉ. अंबेडकर वीथी रोड ए बैंगलुरु, कर्नाटक—560001

त.	केरल	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग केरल सरकार, आईसीपीएस—सारा, पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल
थ.	मध्य प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय, विजयपोर वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स भोपाल—462001 (मध्य प्रदेश)
छ.	महाराष्ट्र	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, द्वितीय तल, महिला एवं बाल विकास कमिश्नरेट, महाराष्ट्र सरकार, 28, कर्वींस गार्डन, पुराने सर्किट हाउस के निकट, पुणे—411001 (महाराष्ट्र)
ध.	मणिपुर	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण विभाग कार्यालय मणिपुर सरकार निदेशालय परिसराए नॉर्थ ए.ओ.सी. एटी लाइन (द्वितीय एमआर गेट), इंफालए मणिपुर—795001
न.	मेघालय	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय, मेघालय सरकारए लोवर लंचूमीचरी, हॉपकिंग्स रोड, शिलांग—793001, मेघालय
प.	मिजोरम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण वेरडेंट रिज, हाउस नंबर 1–61/ई–1/बीए डंगलेना बिल्डिंग, ताइअसेना सेक्शन, लाइपुतिलंग, आइजोल, मिजोरम—796012
फ.	नागालैंड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी कार्यालय, पी.आर. हिल्स, एस. पी. कार्यालय के निकट, एयर्स भवन, कोहिमा, नागालैंड—797001
ब.	ओडिशा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, महिला एवं बाल विकास ए मिशन शक्ति भवन, गंडमुंडा, खंडगिरी, भुवनेश्वर, ओडिशा—751003

भ.	पुदुचेरी	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज कल्याण निदेशालय कार्यालय, पुदुचेरी सरकार, नं. 1, सारादंबल नगर मेन रोड, इलईपिलईचवेडी, पुदुचेरी-605005
म.	पंजाब	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागए पंजाब सरकार, एस.सी.ओ. संख्या 102-103, सेक्टर 34ए, चंडीगढ़-160022
य.	राजस्थान	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बाल अधिकार विभागए 20 / 198, कावेरी पथए सेक्टर-2, मानसरोवर जयपुरए राजस्थान
कक.	सिविकम	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग, सिविकम सरकार, पुराना वेस्ट प्लाइंट स्कूल, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड के निकट, हंगरी जैक होटल के पास, गंगटोक, सिविकम-737101
खख.	तमिलनाडु	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज सुरक्षा निदेशालयए तमिलनाडु सरकार, नंबर 300ए पुरसावालकम हाई रोड, केलीज, चेन्नई-600010, तमिलनाडु
गग.	तेलंगाना	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला विकास और बाल कल्याण विभाग निदेशालय 8-3-222, वेंगल राव नगरए राज्य होम परिसर, अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना-500038
घघ.	त्रिपुरा	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण समाज और शिक्षा निदेशालय कार्यालय त्रिपुरा सरकार, उजन अबहोग नगर, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा-799005
डड	उत्तराखण्ड	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला कल्याण निदेशालय 29 / 20, नेमी रोड, ढलान वाला, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड

चच.	उत्तर प्रदेश	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण महिला कल्याण निदेशक का कार्यालय महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, आठवां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ—226001, उत्तर प्रदेश
छछ.	पश्चिम बंगाल	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण बाल अधिकार और तस्करी निदेशालय, शैशाली भवनए साल्ट लेक सिटी, सेक्टर-1, डीएफ ब्लॉक, कोलकाता—700064, पश्चिम बंगाल

नोट : संपर्क ब्यौरे कारा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.2 परिशिष्ट – ख :

केयरिंग्स पर पंजीकृत जिला बाल संरक्षण एककों (डीसीपीयूज) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत डीसीपीयूज की संख्या
(क)	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
(ख)	आंध्र प्रदेश	13
(ग)	अरुणाचल प्रदेश	18
(घ)	অসম	28
(ঢ)	বিহার	38
(চ)	চাঁড়ীগঢ়	1
(ছ)	ছত্তীসগঢ়	27
(জ)	দাদর ব নগর হোলী ওর দমন ব দীব	0
(ঝ)	দিল্লী	10
(ঞ)	গোৱা	2
(ট)	গুজরাত	33
(ঠ)	হরিয়ানা	21
(ঢ)	হিমাচল প্রদেশ	12
(ঢ)	জ্বারখংড	24
(ণ)	কর্নাটক	30
(ত)	কেরল	14
(থ)	মধ্য প্রদেশ	51
(দ)	মহারাষ্ট্র	35
(ধ)	মণিপুর	9
(ন)	মেঘালয়	13
(প)	মিজোরাম	8
(ফ)	নাগালেঁড়	11
(ব)	ওডিশা	30

(भ)	पुदुचेरी	2
(म)	पंजाब	22
(य)	राजस्थान	33
(कक)	सिक्किम	4
(खख)	तमिलनाडु	32
(गग)	तेलंगाना	33
(घघ)	त्रिपुरा	8
(डड)	उत्तर प्रदेश	75
(चच)	उत्तराखण्ड	13
(छछ)	पश्चिम बंगाल	23
	कुल	676

नोट : जिला बाल संरक्षण एककों के संपर्क व्यौरे हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.3 परिशिष्ट – ग

केयरिंग्स पर पंजीकृत विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएसएज) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएसएज की संख्या
(क)	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
(ख)	आंध्र प्रदेश	14
(ग)	अरुणाचल प्रदेश	2
(घ)	অসম	20
(ড)	बिहार	25
(চ)	চাঁড়ীগাঁও	1
(ছ)	ছত্তীসগাঁও	13
(জ)	দাদর ব নগর হবেলী ওর দমন ব দীব	1
(ঝ)	দিল্লী	12
(ঞ)	গোৱা	2
(ট)	গুজরাত	16
(ঠ)	হরিয়ানা	8
(ড)	হিমাচল প্রদেশ	1
(ঢ)	ঝারখণ্ড	12
(ণ)	কর্ণাটক	31
(ত)	কেরল	17
(থ)	মধ্য প্রদেশ	31
(দ)	মহারাষ্ট্র	56
(ঘ)	মণিপুর	9
(ন)	মেঘালয়	6
(প)	মিজোরাম	7
(ফ)	নাগালেণ্ড	4
(ব)	ओডিশা	31
(ভ)	পுদुचेरী	3
(ম)	পঞ্জাব	8

(य)	राजस्थान	35
(कक)	सिविकम	3
(खख)	तमिलनाडु	22
(गग)	तेलंगाना	11
(घघ)	त्रिपुरा	9
(ड़ड)	उत्तर प्रदेश	21
(चच)	उत्तराखण्ड	7
(छछ)	पश्चिम बंगाल	24
	कुल	463

नोट : विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.4 परिशिष्ट – घ

5.4.1 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएएज)

प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों का सार

प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएएज)		
क्र.सं.	देश का नाम	एएफएएज की संख्या
1	बैलियम	3
2	कर्नाटा	3
3	डेनमार्क	1
4	इथोपिया	1
5	फिनलैंड	1
6	फ्रांस	6
7	होंग कोंग	1
8	आइलैंड	1
9	आयरलैंड	1
10	इटली	10
11	लक्जमर्बर्ग	1
12	माल्टा	4
13	नीदरलैंड	1
14	न्यूजीलैंड	2
15	सिंगापुर	1
16	दक्षिण अफ्रीका	1
17	स्पैन	4
18	स्वीडन	2
19	स्विटजरलैंड	1
20	यूनाइटेड किंगडम	1
21	संयुक्त अरब अमीरात	1
22	संयुक्त राज्य अमेरिका	16
23	नार्वे	2
	कुल	65

5.4.2 एएफएए का विवरण

क्रम सं.	देश का नाम	अभिकरण का नाम व पता	ई-मेल
1	बेल्जियम	ईफेंटस डी लेसपोर चिल्डरन ऑफ होप रुए डी मॉन्टिग्नी-13ए लेरेटेज पहला तल) 6000 चारलेरोए बेल्जियम	N.foulon@skynet.be Nathaliefoulon07@gmail.com Enfantsespoir@gmail.com
		रेय ऑफ होप (मर्जर विद जोय सोर्वस होप) कनापतनसरात 25ए 9160 लोकरेनए ब्रुसेल्सए बेल्जियम	Ray.of.hope.vzw@pandora.be
		फ्लानडर इंटरकंटरी एँडोप्शन केयर (एफआईएसीद्व स्टेशनसरात 80ए 8ी-2440 गिल ब्रुसेल्सए बेल्जियम	info@fiac-vzw.be
2	कनाडा	कॉर्नरस्टोन एँडोप्शन एजेंसीए 360 बेली स्ट्रीटए सुइट 201 एजेक्सए ओटावारियोए कनाडा एल1एस1पी1 कनाडा	Info@cornerstoneadoption.ca
		चिल्ड्रन ब्रिज इंटरनेशनल एँडोप्शन कंस्लटेंट 1400 सीलडी एवेन्यूए सुइट 221ए ओटावाए ओनटारियाए कनाडाए के2जी 312	Info@childrensbridge.com
		सनराईज फैमिली सर्विजज सोसाइटी रु102-107ए वेर्स्ट एसपलेनैडए नार्थ वैंकूवरए बीसी वी7एम 3जे9ए कनाडा	Info@sunriseadoption.com Mary@sunriseadoption.com
3	डेनमार्क	दानिश इंटरनेशनल एँडोप्शन होवेजडेन 24ए 3460 बिरकेरोडए डेनमार्क	mail@danadopt.dk ac@a-c.dk
4	इथोपिया	मि. मेसफिन जेब्रीमरियम पी.ओ. बॉक्स 145180 एडिस अबाबाए इथोपिया मार्फत एम्बेसी ऑफ इंडिया अराडा डिस्ट्रिक्टए केबेले 13 / 14 हाउस नं 224ए पीबी नं. 528ए एडिस अबाबाए इथोपिया	mesgeb@gmail.com cons.addisababa@mea.gov.in
5	फिनलैंड	इंटरपीडिया आर.वाई एसेमार्ईहेनकाटू 4 बी / स्टेशनकरलेसगाटन 4बीए फिन-0050 हेलसिगफेर फिनलैंड फ्रांस	ilona.korhonen@interpedia.fi eija.kiiskinen@interpedia.fi toimisto@interpedia.fi
6	फ्रांस	कंफेडरेशन फ्रासिस पोर एल एँडोप्शन कोफा दृ कमिटी डी मार्शली ओईयूवरे डी ई एँडोप्शन 12ए आरयूई बीईएल एयेर-13006 मार्शली फ्रांस	odamarseille@wanadoo.fr
		ले रेयैन डी सोलेल डी ई इंफेट इट्रेन्जर 8बीआईएसए आरयूईए मारटेल 75010 पेरिस फ्रांस	Eedm.adopt@wandoo.fr

		लेस इंफेटस डीई एल एसपेरेंसए 22ए एएलएलईई पॉल इलूआर्ड—77420 चैम्पस एसयूआर मैरनी फ्रांस	soleil.rayon@wanadoo.fr rdsee.adoptioninde@gmail.com
		इंफेटस डू मॉडे 87ए रु डे ला बेसस 59000एलआईएलएलई फ्रांस	suzannem.ede@gmail.com delacour@chello.fr moushette@hotmail.com
		एजेंसी फ्रांकेंसी डी एल एँडोप्शन 19ए बोयूलेवर्ड हेनरी पअ 75004ए पेरिसए फ्रांस हांगकांग	edmfcontact@gmail.com edmfcontact@yahoo.fr
7	हांगकांग	इंटरनेशनल सोशल सर्विस छठा तलए सॉदरन सेंटरए 130 हैनेससी आरडी वनचाहीए हांगकांग	marine.marcon@agenceadoption.fr
8	आइलैंड	आइलैंडिक एडोप्शन सोसायटी स्किफोल्ट 50बीए 105 रेयकेजाविक आइलैंड	iss hakbr@netvigator.com
9	आयरलैंड	हैलिंग हैंड एडोप्शन मेडिटेंशन एजेंसी फॉग लॉगए फॉग लॉग हिल्स कोकाए डब्लीन आयरलैंड	isadopt@simnet.is isadopt@isadopt.is
10	इटली	सेंट्रो ईटेलियनओयूटी ऑल एनफांजिया (सीआईएआईद्व वाया बोरगिहीरा 6 20142 मिलानोए इटली	helpinghands.ama@gmail.com
		अंतराष्ट्रीय एडोप्शन एसोसिएशन फॉर द फैमिली एंड चालइलड वेल्फेयर वाया केटरिना 208 /सी 33030 वीला प्रिमावीरा कमपोफोरमिडो (यूडीद्व इटली	adozioni@ciai.it
		मिशनेरि डेला कारीटा (मिशनरीज ऑफ चेरीटी) सलीटा डी एस ग्रेगोरीयो/एल सेलीयो एन1 00184 रोमीए इटली	info@internationaladoption.it
		आई बमबीनी डेल अरकोबालिनो एडोजीओनी इंटरनाजीओनाली 32013 लोगारोनी (बीएलद्व इंटालीया वाया रोम 36 /ए कोडीसी फिसकेले 93017430252ए इटली	bamperco@libertoit associazione@bambarco.it
		एसोसिएजीओन एमिकी टरेनटीनी ऑनलस बीएले डेगली ओएलमीए 26 38123 ट्रेनटोए इटली	amicitrentinitezze@valsugana.com trento@amicitrentini.it

		एसोसिएजीओन इटालिआना प्रो एजोजीओनी (एआईपीएद्व सेडे सोसीएला वाया फ्रेसेको डीओडो 10-000136ए रोमाए इटली	info@aipaweb.it aipamail@tin.it
		ला प्रीमोजेनिटा इंटरनेशनल एँडोप्शन वाया फिओरीनी 6 / ए 29100 पीयासीएनजा इटली	amicidb@tin.it anna.piacenza@laprimogenita.it
		मेहाला एसोसिएशन चाइल्ड एंड फैमिली-ऑनलस एसोसिएजीयोन मेहाला ऑनलसए वाया केम्पीए 64-23807ए मेरेटे (एलसीद्व	adozioni@mehala.org info@mehala.org
		फैमिगलीया एनसीएमी ऑनलस लाजो एमबा एराडेम 1ए रोम 00184ए इटली	cooperativa@famigliainsieme.org
		एमिकी मिशीओनी इंडेनेन ओनलेस वाया आल्डो मोरो 7-20090 बूकीनेस्को (एमआई)ए मिलान इटली	adoz_india@amiweb.org ami@amiweb.org
		एसोसिएशन मरियाना ऑनलेस वाया ए डीआजए 92 केसोरियाए एनएए इटली	cifa.torino@cifaong.it
		सीआईएफए ऑनलेस सेंट्रो इंटरनाजाईनलेन फेमिजी प्रो एडोजीओन इंटरनेशनल सेंटर फोर चिल्डरन एंड फैमिली वाया यूगो फोस्कोलो 3ए 10126 टूरीनए टूरीनोए इटली	aiaem@pt.lu
		एसोसिएशन लो स्कोइयाटोलो ऑनलस इटे ऑटोरीजेटो पेर ले अदीजोनी इंटरनेशनली सेदे सेंट्राले कोरसो डेल पोपोली 69 रोम 00154ए इटली	info@agenzijatama.com
		फैमिलीया इनसाइन डीएड वाया प्रोसप्रेरो अल्पिनो 69 रोम 00154ए इटली	appogg@gov.mt
11	लक्जम्बर्ग	एमीकेल इंटरनेशनल डीएड एल इंफेन (आईएई) एल-8140 ब्रीडेल, 71, आरयूई डे लक्जम्बर्ग गेंड डूची, लक्जम्बर्ग	dona.thapa@gov.mt
12	माल्टा	अजीनजीजा तामा 1, तरीक प्प-बाजादा कोर्मि, माल्टा	beyondbordersadoptions@gmail.com
		अजीनजीजा अपोग 36, तरीक सेन ल्यूक जी मान्या पीटीए 1318, माल्टा	info@wereldkinderen.nl dobken@wereldkinderen.nl

13	नीदरलैंड	वरलडकिनडेरेन (द नीदरलैंड इंटर-कंटरी चाइल्ड वेफेर ऑरगनाईजेशन) रिओवस्तरेत 191, 2585 एचटी, डेन हैग, द नीदरलैंड	office@icanz.gen.nz
14	न्यूजीलैंड	इंटरकंनट्री एडोप्शन न्यूजीलैंड (आईसीएनजीद्ब पीओ बॉक्स 62–660 ग्रीनलैंड ऑकलैंड 1546 न्यूजीलैंड	cfo@paradise.net.in victoria.mausatova003@cyf.govt. nz enquiries@cfo.org.nz
		एडोप्शजन्स फोरम (एडोप्शन फोरम) पोस्ट बॉक्स 2364 सोली, 0201, ओस्लो बेस्केसाइरे इकोजीतोगी, 17 नार्वे	adopsjon@verdensbarn.no fadderskap@vedensbarn.no
15	नार्वे	वेरडेन्स बारन (चिल्डन ऑफद वर्ल्ड) बोगस्टेडवेईन 27 बी, 0355 आसलो, नार्वे	info@adopsjonsforum.no amv@adopsjonsforum.no
		एडोप्सजोन्स फोरम (एडोप्शन फोरम) पोस्ट बॉक्स 2364 सोली, 0201 ओस्लो बेस्कसाइरेसी : इनकोग्निटोगट, 17 नार्वे	welfare.singapore@mea.gov.in
16	सिंगापुर	मिस जीवा 133 लोरांग के, टेलोक कुराउ रु 01-01 सिंगापुर-425770 भारतीय उच्चायुक्त 31, ग्रेन्ज रारेड, सिंगापुर-239703	adoptions@mweb.co.za
17	दक्षिण अफ्रीका	कैथोलिक वूमन लीग एडोप्शन सोसाइटी, मार्गरिट हाउस, 33 रॉबर्ट्स एवेन्यू कॅसिंगटन 2094, पी.ओ. बॉक्स 66121, ब्रॉडवे 2020, दक्षिण अफ्रीका	nsf.cwf@nsf-cwf.org
18	स्पेन	निनस सोन फ्रटंनरस चिल्ड्रेन विदआउट फ्रटंनरस एविडा, यूरोपा न. 34, ब्लॉक्यू-बी, ईएससी, डेरेचा 10 इजिक्वेरिडा-28023 अरवाका-मैडिड-स्पेन	asocnamaste@terra.es namaste.es@gmail.com
		नमस्ते (जएसोसिएशन) अरागानोइसाट पारा ली प्रोमोसीन दी ला इंफासीट सी /ओ 79, 81, 2डी 50001 जारागोजा (जस्पेन)	info@yamuna.org
		यमुना एसोसिएशन चिल्ड्रेन आइड सी/पेरिस, 97, लोकल-2-08029-बर्सिलोना, स्पेन	bertranr@icab.es balbalika@lycos.es mmonla@ecaibalbalika.com informacio@ecaibalbalika.com rbertranc@gmail.com
		ईसीआई, बाल बालिका इंटरनेशनल एडोपसन ईनरिक बोरस एन 30 बजोस, 08912, बदालोना बर्सिलोना, स्पेन	info@adoptionscentrum.se monica.lind@adoptionscentrum.se

19	स्वीडन	एडोपसनसीनट्रोरम बॉक्स—11139 १६१ ११ स्टोकहोलम स्वीडन	adoption@bfa.se katarina@bfa.se
		चिल्ड्रेन एब अल एडोपसन एनरगीगटने, ११, एस—४३४३७ कून्गसबका स्वीडन	adoption@ffia.se Monica.Samuelson@ffia.se
20	स्विट्जरलैंड	फाउंडेशन इनफॉन्ट्स— ईसपोर मैडमे हेल्ला नेर्ई— १०५३, ब्रेटीगनी स्विट्जरलैंड	mariene.hofstetter@tdh.ch rlu@tdh.ch ruth.luget@tdh.ch adoption@tdh.ch mho@tdh.ch info@tdh.ch
21	संयुक्त अरब अमीरात (यूएए.ई)	ओमना मीनन पी.ओ. बॉक्स नं. २४२०२ दुबई (यूएई)	helga.ney@worldcom.ch priti_aeschbacher@yahoo.com
22	जूनाइटेड नॅकगडम जयुके)	इंटरकन्ट्री एडोपसन सेंटर २२ यूनियन स्ट्रीट, बारनेट, हर्ट्स, इन एन५ ४एच यूनाइटेड किंगडम	omanamenondubai@gmail.com
23	संयुक्त राज्य अमेरिका	नाइटलाइट क्रिश्चियन एडोप्शन (मर्ज विद लब बास्केट एडोप्शन) ४४३० ई मिरालोमा एवेन्यू सुइट बी, अनाहेम हिल्स सीए ९२८०७, यूएसए	gillhaworth@icacentre.org.uk info@icacentre.org.uk
		चिल्ड्रेन हाउस इंटरनेशनल पी.ओ. बॉक्स १८२९, (५७११, विस्टा, सुइट १०१ ए) फर्नडेल, डब्ल्यू ए ९८२४८, यूएसए	daniel@nightlight.org stephanie.miller@nightlight.org
		चिल्ड्रेन होम सोसाइटी व फेमिली सरबीस, १६०५ यूस्टिस स्ट्रीट संत पॉल, एमएन ५५१०८—१२१९, मिनेसोता ५५०८२, यूएसए	chi4adopt@aol.com
		होप एडोप्शन और फेमिली सरबीस इंटरनेशनल आईएनसी ५८५० ओमाहा एवेन्यू नोरथ ओके पार्ट हाईस्ट मिनेसोता ५५०८२, यूएसए	india@chfs.org molly.rochon@chlss.org
		बाल जगत चिल्ड्रेन वर्ल्ड इंक ५१९९ ईस्ट पेसफिक कोस्ट हाईवे सुइट २०४, लॉग बींच कैलिफोर्निया ९०८०४ यूएसए	hope@hopeadoptionservices.org nspader@hopeadoptionservices.org

		चिल्डरन ऑफ द वर्ल्ड आईएनसी, 19940 ईस्ट एसपेसिफिक कोईस्ट हाईवे, सुइटरु 204 लौंग बीच केलीफोर्निया 90804 यूएसए	baljagat@verizon.net hemlata@baljagat.org
		द बार्कर फाउंडेशन 7979 ओल्ड जॉर्जटाउन रोड, प्रथम तल, बेथेस्डा, एमडी 20814, यूएसए	reggie@childrenoftheworld.com pat@childrenoftheworld.com patalsuplee@gmail.com Teresa@childrenoftheworld.com
		डीलन इंटरनेशनल आईएनसी 7335 एस लिवीस एवेन्यू, सुइट 302, तुलसा, ओके 74136, यूएसए	mregier@barkerfoundation.org info@barkerfoundation.org BBetz@barkerfoundation.org
		इंटरनेशनल क्रिश्चियन एडॉप्शन 41745 राईडर वेय, रु2, टेमुकुला सीए 92590, केलीफोर्निया, यूएसए	info@dillonadopt.com tami@dillonadopt.com jynger@dillonadopt.com maryanne@dillonadopt.com
		मैसर्स अमेरिका वर्ल्ड एडॉप्शन एसोसिएशन आईएपसी 6723 वाहिटियर एवेन्यू सुइट 202 मेलेअन, 22101, यूएसए	CascadeICS@aol.com info@4achild.org
		एक्रोस द वर्ल्ड एडॉप्शन 399 टेलर बीएलवीडी, सुइट 102 पीलीजेंट हिल, केलीफोर्निया 94523, यूएसए	brain.luwis@awaa.org lisa.adamsreese@awaa.org
		इंटरनेशनल एडॉप्शन नेट 7500 ई एरापाहोई रोड एसटीई ८२५० केनटेनियल, को 80112 यूएसए	adopt@adoptionassociates.net
		लाइफलाइन चिल्ड्रेन सिवर्सिस 2104 रोकी रिज रोड बीरमिनघम, एएल 35216 यूएसए	adopt@atwakids.org
		फैथ इंटरनेशनल एडॉप्शन 1105 टाकोमा एवेन्यू, साउथ टाकोमा, डब्ल्यू ए 98402	info@adoptioninternational.net Joan@internationaladoptionnet.org
		एडॉप्ट इंटरनेशनल, यूएसए	lifeline@lifelineadoption.org jessica.oetting@lifelinechild.org

5.5 परिशिष्ट डॉ :

कारा द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र/परामर्शिका



Central Adoption Resource Authority केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं. कारा—विविध/14/2020—कारा

दिनांक: 17/08/2020

No.....

Date.....

परामर्शिका**विषय:** बेहतर नियोजित रीति में तत्काल स्थानन (आईपी) श्रेणी में बड़े बालकों का पुनर्वास।

सेवा में,

सभी राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण

सभी जिला बाल संरक्षण एकक

सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण

यह दिनांक 09/10/2017 और 20/06/2018 के परिपत्र सं. 1–11–2018–जेडी/परि. के क्रम में है। यह देखा गया है कि तत्काल स्थानन पोर्टल से आरक्षित बड़े बालकों की विछिन्नता और विघटन बढ़ रहे हैं और इस तथ्य को कारण माना जा सकता है कि ऐसा बालकों तथा भावी दत्तक माता—पिताओं के परामर्श एवं तैयारी के अभाव के कारण होता है। बड़े बालकों को दत्तक ग्रहण के लिए तैयार करना होगा और उन्हें तत्काल स्थानन (आईपी) के माध्यम से अथवा सामान्य रैफरल के माध्यम से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध कराने से पहले परामर्श देना होगा।

2. भावी दत्तक माता—पिता को भी अच्छी तरह से परामर्श दिया जाना चाहिए। आदर्शतः उन्हें दो से अधिक गृह दौरे और दो से अधिक परामर्श सत्र उपलब्ध कराए जाएं यदि ऐसे भावी दत्तक माता—पिता बड़े बालकों का दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं। भावी दत्तक माता—पिता को सभी मुद्दों एं जिनका बड़े बालकों का दत्तक ग्रहण करते समय वे सामना कर सकते हैं और ऐसे मुद्दों से निपटने के तरीके के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। (कृपया केयरिंग्स पर दत्तक ग्रहण के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार करने तथा भावी दत्तक माता—पिता (पीएपीज) के परामर्श के लिए दिशा—निर्देशों संबंधी दिनांक 03/10/2019 के परिपत्र का संर्दभ ग्रहण करें (प्रति संलग्न)।

3. दत्तक ग्रहण समिति को आईपी श्रेणी में बड़े बालकों को भावी दत्तक माता—पिता से मिलान करते समय अधिक कर्मिष्ठता बरतने के लिए सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। उन्हें बड़े बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तक माता—पिता की तैयारी और अभिप्रेरण देखना चाहिए। यह विशेषकर तब प्रासंगिक होता है जब भावी दत्तक माता—पिता ने केयरिंग्स पर पंजीकरण करते समय किसी छोटे बालक के लिए विकल्प दिया हो और रैफरल के लिए प्रतीक्षा करते समय आईपी श्रेणी से बड़े बालकों को आरक्षित करते हैं।

4. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण आईपी श्रेणी में बड़े बालकों के लिए स्थानीय स्तर पर परिवारों का पता लगाने के लिए एवं बालक देखरेख संस्थाओं और विशेषज्ञ संबद्ध दत्तक ग्रहण अभिकरणों के साथ—साथ जिला बाल संरक्षण एककों को निर्देश दे सकते हैं क्योंकि कारा ने भावी दत्तक माता—पिता को अवलोकनीय ऐसे बच्चों की सूची तैयार की है। बड़े बालकों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण अपने राज्यों में आईपी श्रेणी से बालकों के दत्तक ग्रहण के लिए इच्छुक उपयुक्त भावी दत्तक माता—पिता से संपर्क करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता /—

(संजय बर्णलिया)
निदेशक, कारा

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198

E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Ministry of Women & Child Development
राज्य सरकार / Government of India
परिवर्ती योग्य-8, विंग-2, भूतिय लल, आरके. पुरम
West Block-B, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली, भूतिय लल, आरके. पुरम



Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सामिक्षिक निकाय)



No.....T-TT-2018/JD/Cir

Date: 20.06.2018

सेवा में,

सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएएज)

परिपत्र

विषय: दत्तक ग्रहण पूर्व पालन—पोषण देखरेख में भावी दत्तक माता—पिता के साथ स्थानन किए गए बालकों की वापसी/विच्छेदन पर विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों द्वारा रिपोर्ट करना।

1. पिछले कुछ समय से, विच्छेदन की कुछ घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं जिनमें दत्तक—पूर्व पालन—पोषण देखरेख में लिए गए बालकों को घरेलू भावी माता—पिता द्वारा वापस कर दिया गया है। ऐसा बाल देखरेख संस्थाओं से बड़े बालकों के मामले में अधिक है जो दत्तक ग्रहण के लिए बालकों को परामर्श नहीं देती है और तैयार नहीं करती हैं। इस संबंध में दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की फा.सं. 1–11–2017/जेडी/परि. द्वारा एक परिपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है (इसकी प्रति संलग्न है)।
2. आवश्यक सुधार करने के लिए दत्तक परिवारों से बालकों की ऐसी वापसी/विच्छेदन के पीछे कारणों/कारकों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
3. आगे से, सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों को किसी भी विच्छेदन के घटित होने पर संलग्न प्रपत्र में दत्तक—पूर्व पालन पोषण देखरेख वाले भावी माता—पिता/दत्तक परिवारों से बालकों की वापसी/विच्छेदन के संबंध में सूचना देने का निदेश दिया जाता है।

हस्ता/—

(डी.डी. पाण्डेय)

संयुक्त निदेशक, कारा

प्रति:

सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

पश्चिमी खंड-8ए विंग-2ए द्वितीय तलए आर.के. पुरमए नई दिल्ली

फा.सं. 1-11-2017 / जेडी / परि.

दिनांक:— 09.10.2017

परिपत्र

विषय:— चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, मिलान प्रक्रिया और विच्छेदन से संबंधित मुद्दे।

सभी विशेषक दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएज) का ध्यान देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर दिलाया जाता है:

- क. सामान्यतः यह होता है कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत रेफर किए गए बालक को चिकित्सीय समस्याएं होती है, जिनका उल्लेख चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में नहीं होता है और जब बालक की अभिरक्षा लेने के लिए माता—पिता आते हैं, इनका पता अनुपूरक जांचों से चलता है। ऐसे मामलों में, दत्तक ग्रहण अभिकरण (सरकार द्वारा संचालित अथवा गैर—सरकारी संगठन द्वारा संचालित एसएज दोनों) द्वारा माता—पिता के चिकित्सा प्रभारों तथा यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि वे शिथिलता के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- ख. यूंकि दत्तक परिवारों के साथ बड़े बालकों का समेकन सामान्यतः अधिक समय लेता है, सभी एसएज को दत्तक माता—पिता के साथ बड़े बच्चों के जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी करने की जरूरत है। इस संबंध में, सभी एसएज से तीन वर्ष से अधिक आयु के बालक को स्वीकार करने से पहले बालक की कम से कम दो बैठकों की अनुमति देना अपेक्षित है।
- ग. इसके अलावा, देश के भीतर दत्तक—ग्रहण के विच्छेदन के मामले में, सभी एसएज को माता—पिता को बालक वापस करने की अनुमति देने से पहले, दत्तक माता—पिता और बड़े बालक के कम से कम दो परामर्श सत्र सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया जाता है। किसी भी मामले के निर्णय के लिए बालक का सर्वोत्तम हित सदैव प्रधान सरोकार रहेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह./—

(जगन्नाथ पति)

संयुक्त निदेशक

सेवा में,

- 1- सभी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण।
- 2- सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण—कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और एसएज द्वारा इसकी अनुपालना की कठोर निगरानी करने के लिए जिला बाल संरक्षण एककों को आगे परिचालित करने हेतु।
- 3- बाल कल्याण—प्प महिला एवं बाल विकास विभाग— सूचनार्थ।

**भावी दत्तक माता–पिता/दत्तक परिवारों से बालकों की वापसी/विच्छेदन पर एसएए द्वारा_
रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप**

- 1- बालक/बालकों का नाम/लिंग/जन्म तिथि :
- 2- केयरिंग्स पंजीकरण सं. :
3. एसएए का नाम :
4. पीपीएज/एपीज का नाम और पता :
5. पीपीएज का केयरिंग्स पंजीकरण संख्या और तारीख :
6. एसएए/सामाजिक कार्यकर्ता का नाम एवं पता जिसने पीपीएज की गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार की है (एचएसआर की प्रति संलग्न करें)
7. बड़े बालक के मामले में बालक(कों) और पीपीएज की की गई तैयारी (मिलान की अवधि के दौरान दत्तक ग्रहण पूर्व परामर्श एवं सुपरिचितता)
8. तारीख जिसको पीपीए ने बालक को दत्तक पूर्व पोषण देखेरेख में लिया था (दत्तक पूर्व पोषण देखेरेख की प्रति संलग्न करें)
9. दत्तक ग्रहण आदेश सं. और तारीख (जहां कहीं लागू होए प्रति संलग्न करें)
10. बालक के साथ पीपीए(एस) के सामंजस्य मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख करें :
11. बालक/बालकों के साथ कब से पीपीए (एस) को सामंजस्य की समस्या है :
12. सामंजस्य मुद्दों का समाधान करने के लिए पीपीए(एस) द्वारा उठाए गए कदम :
13. क्या पीपीए(एस) ने सामंजस्य मुद्दों का समाधान करने के लिए बालक/बालकों के लिए अपने परामर्श की मांग की थी यदि हॉए तो उसका व्यौरा दें (परामर्श रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें) :
14. भावी दत्तक माता ने सामंजस्य की समस्या की एसएए को जहां से बालक का दत्तक ग्रहण किया गया था ए रिपोर्ट कब की थी (पीपीए के पत्राचार की प्रति संलग्न करें) :
15. क्या दत्तक पश्च अनुवर्ती रिपोर्टों में सामंजस्य मुद्दों को उठाया गया था। यदि हॉए तो ऐसी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें (जहां कहीं लागू हों):
16. बालक/बालकों के दत्तक पश्च अनुवर्तन के दौरान सामंजस्य मुद्दों के समाधान से संबंधित एसएए/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किए गए प्रयास(सों) का व्यौरा :
17. क्या एसएए/सामाजिक कार्यकर्ता (एचएसआर/अनुवर्ती रिपोर्ट तैयार करने वाले) विच्छेदन के लिए उत्तरदायी कारणों/कारकों और बालक के साथ सामंजस्य के लिए पीपीएज द्वारा किए गए प्रयासों से सहमत है यदि नहीं ए तो असहमति के बिंदुओं का उल्लेख करें) :

18. क्या संबंधित डीसीपीयू से (जिसके अधिकार क्षेत्र में पीपीए(एस) वर्तमान में निवास कर रहा है/हैं) विच्छेदन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्राप्त की गई है यदि हॉए तो ऐसी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें :
19. विचाराधीन विच्छेदन पर एसएए (जिसने बालक को दत्तक ग्रहण में दिया था) के विचार :
20. न्यायालय आदेश के बाद हुए विच्छेदन के मामले में उल्लेख करें कि क्या न्यायालय के आदेश द्वारा जिसने दत्तक आदेश परित किया थाए दत्तक ग्रहण को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है :
21. क्या दत्तक परिवार से उसकी वापसी के बाद एसएए द्वारा बालक/बालिका का समुचित परामर्श कराया गया है/कराने की व्यवस्था की गई है यदि हॉए तो उसका ब्यौरा दें :
22. बालक का वर्तमान पता और उसकी स्थिति (शारीरिक/स्वास्थ्यए मानसिकए भावनात्मकए शैक्षणिकए आदि) :
23. बालक के पुनर्वास हेतु योजना :





Central Adoption Resource Authority

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

(भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास नियंत्रण की सांविधिक निकाय)

लाल बगड़

63–36/2018/डिस्ट्रॉफन/कारा/एमपी



03/10/2019

No.....

Date.....

परामर्शी सूचना

विषय: दत्तकग्रहण के संबंध में गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) की तैयारी एवं संभावित दत्तकग्राही माता-पिता (पीएपी) के परामर्श हेतु दिशा-निर्देश

सेवा में,

समस्त शक्ति दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण,
समस्त जिला बाल संरक्षण एकक,
समस्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण

संभावित दत्तकग्राही माता-पिता (पीएपी) को परामर्श देना एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार करना किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का अत्यत रावेदनशील हिस्सा होता है। यह केवल प्रश्नोत्तर सत्र नहीं होता है अपितु जनकारी साझा करने की दीर्घिरीय प्रक्रिया भी है जो समावित माता-पिताओं को अभिभावक बनने के लिए तैयार करती है।

गृह अध्ययन दोस्रा विशेषज्ञता दत्तक ग्रहण अभिकरण के लिए एक ऐसा अवसर मी है जिससे वे समावित दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता और उत्सुकता जान सकें। चर्चा के माध्यम से जीविक बच्चों से विहीन दत्तक माता-पिता को मावनात्मक रूप से साशक्त करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। निम्नलिखित चिन्हों को ध्यान में रख कर गृह अध्ययन दोस्रा करें एवं रिपोर्ट तैयार करें :

क) गृह अध्ययन रिपोर्ट रामावित दत्तक ग्राही माता-पिता की बच्चे को गोद लेने की उपयुक्तता एवं उत्सुकता के आकलन करने हेतु तैयार की जाती है।

ख) गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की सबसे बढ़ी चुनीती यह है कि वह तथ्यात्मक जनकारी से आगे जाकर यह समझे कि आकलन के दौरान उसे क्या दिखाई दे रहा है। आदर्श रूप से, संभावित दत्तक माता-पिता का केवल साक्षात्कार ही नहीं बल्कि एक से अधिक बार घर का दौरा किया जाना चाहिए।

ग) राबड़ी पहला कदम "मैल-जौल बढ़ाने" एवं यह सुनिश्चित करने का होना चाहिए कि संभावित दत्तक माता-पिता दो-तरफा परिवर्ची में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

घ) गृह अध्ययन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को हर समय "बच्चे पर कॉंट्रोल" रहना है। यह अध्ययन बच्चे की जरूरतों के बारे में है न कि माता-पिता की जरूरतों के बारे में। ऐसा बच्चा जिसे एक घर की जरूरत है लिए एक उपयुक्त परिवार ढूँढ़ना है जबकि ऐसे माता-पिता के लिए उपयुक्त बच्चा ढूँढ़ना है जिसका एनएसआर के दौरान साक्षात्कार लिया जा रहा है।

3. संभावित दत्तक माता-पिता एवं उनके आकलन को समझने के लिए सुझाई गई कार्य-प्रणाली:

क) माता-पिता का संवेदनशीलता, बरुणा, विंता एवं नैर-आलोचनात्मक मानोमाव वाला दृष्टिकोण हो।

ख) संभावित दत्तक माता-पिता के गोद लेने के निर्णय के उपरांत उन्हें बहुत गावनात्मक मदद की आवश्यकता होती है। व्यग्रता, धिला, अग्रिमित्वा, संदेह, अपराधसोय एवं कई ऐसी अन्य गावनाएं होती हैं (जैसे जीविक बच्चा पिंडा करने में अक्षम होना या किसी जीविक बच्चे को खोना) उसे व्यक्त करने ते व उस पर चर्चा करें।

म) उनकी अपनी जानने व होने के बारे में उनकी रखय की भावनाओं को समझाने में समावित दत्तक माता-पिता की सहायता करे। इस बात पर सबसे अधिक जोर दे कि यह आगोगता नहीं है बल्कि सामान्य जाता है एवं उन्हें परमार्थी प्रक्रिया हारा इस पर चर्चा करने व हरो स्वीकर करने में उनकी सहायता करे।

प) खमाय व पीपण की गुमिकों समझाने में माता-पिता वीरों की सहायता करे – उन्हें यह जाताये कि वश-परापरा के गुप्तीय व माहौल दोनों ही बच्चे के व्यक्तिगत में महत्वपूर्ण गुणिका निश्चारी हैं। इस बात पर जोर दे कि बच्चे को पीपण और खुशनुमा पालावरण प्रदान करने की उनकी गोप्यता बच्चे के पीछेवाले में लाभदायक रहे ग्राही होंगी जब जन्म के समय स्थानाविक गुण कुछ भी रहे हों।

८) एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं निर्णय लेने के संबंध में वैवाहिक संबंधों का अंकितन करे, वैवाहिक स्थानित की अंकितन करे यह जानने का प्रयास करे कि उनका पारस्परिक रूप से एक दूसरे के प्रति सहायोगात्मक संबंध है। विवाह यह वर्धी के लिए अलग समय दें।

९) पति-पत्नी के बीच संबंधों में कालह के महत्वपूर्ण हेतुओं का पता लगाए एवं यह जानने की प्रयास भी करे उन्होंने अपने मतभेदों को कैसे सुलझाया है (इसारी यह अंदाजा होगा कि ये बच्चे का लालन-पालन करने से टकराव की स्थितियों से कैसे निपटे)।

१०) उनकी रखय के बचावन व उनके माता-पिता और भाई-बहनों के संबंधों की महत्वपूर्ण बातों पर विरतार शो वर्षी करें।

११) परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते के बारे में पता लगाए जैसे कि माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पारिवारिक मित्र इत्यादि।

१२) यह एह आव्ययन रिपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं है जिसमें ही और नहीं जैसे उत्तर हो। यह प्रारूप में दिये गये डिक्टेशनों पर केवल एक न करे एवं हमेशा लागू नहीं जैसे विकल्पों के प्रयोग से बद्दे। उत्तर पूरी तरह से समझा में आने लायक रूप से विश्लेषणात्मक हो। रिपोर्ट में समावित दत्तक माता-पिता की गोद लेने की उत्सुकता एवं उपगुक्तता के बारे में गुल्यांकन भी शामिल हो।

१३) बच्चे के साथ गोद लेने के तथा को साझा करने (जिसे प्रकटीकरण कहा जाता है) पर समावित दत्तक माता-पिता के साथ परिवारी गृह आव्ययन रिपोर्ट की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भले ही ऐसा करना जल्दबाजी लग सकता है परन्तु इस बात पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है कि माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे के साथ इस जानकारी को स्थाय साझा करने के लिए कैसे तैयार होंगे। इसे बाहरी शीत से गलती से या असंवेदनशीलता से कमी न होने दें। उन्हें यह समझायें कि एक राष्ट्रदण्डशील माता-पिता का बच्चे के साथ रिश्ता साझार्ह, ईमानदारी व विश्वास पर आधारित होना चाहिए नाकि निररार इस बार की साथ की बच्चों की पता चल जाएगा का नहीं हो। यह भी ध्यान दें कि ऐसा खुलासा बच्चे की परिवर्तना व उसकी उत्सुकता के आधार पर उथित समय पर किया जाए। ऐसे स्थिति को समालने के लिए व्यावसायिक परामर्श दें।

१४) माता-पिता को इस तथ्य के प्रति तैयार करें कि बच्चे को गोद लेने के बाद के बरण में, बच्चा 'अपने गुल माता-पिता की खोज' की आवश्यकता यक्ता कर राफता है। उन्हें परामर्श दे कि यह एक उसकी वैध आवश्यकता व बच्चे का अधिकार है तथा उन्हें यह तथा भी बताये कि जोड़े अधिनियम में इस तरह की खोज का प्राक्कान है। माता-पिता वो उनकी विताओं व व्यवहारों के बारे में परामर्श प्रदान करें।

१५) गृह आव्ययन के दोसन समावित दत्तक माता-पिता को परामर्श देकर तैयार करें कि उन्हें भेजे गये मध्ये का 'जारीह' - जो जानना व रोकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावित दत्तक माता-पिता जो यह भी समझाये कि कभी एक भावनात्मक, मनीवेज्ञानिक या शाशीरिक आधार से गुजरा है उसे वैध, समझ व प्यार, देखमाल और स्वीकार्यात्मक बहुत आवश्यकता होगी। यह उन बच्चों पर भी लागू होता है जो बच्चे गोद की प्रक्रीया के समय

—3—

करे होते हैं, पिछली यादें उनके मानस पटल या मन पर गमीर आधात छोड़ सकती हैं। संवेदनशीलता एवं श्रद्धा-पूर्वक पालन-पोषण, परामर्श एवं अन्य सहायता में यह दिशा-निर्देश सफलतापूर्वक निवारण कर सकता है।

६) यह माता-पिता जिनके जीविक बच्चे हैं फिर भी बच्चे को गोद लेने का समझदारी भरा निर्णय लिया है, माता-पिता के साथ बच्चे को गोद लेने एवं माता-पिता को उनके साथ समान व्यवहार करने, उनकी विशिष्टता व मरम्भेताओं को स्वीकार करने में माता-पिता की उत्सुकता व बच्चे को गोद लेने की प्रेरणा पर चर्चा करना अत्यधिक आवश्यक है। यह उनमें बच्चे को गोद लेने के प्रति अधिक उत्सुकता पैदा करेगी।

७) यदि माता-पिता ने सिस्टम पर लिंग, आयु अथवा राज्य के अपने विकल्प को बदल दिया है तो इसके कारणों पर चर्चा करें। आदर्श रूप से इसका कारण बच्चे को जल्द से जल्द प्राप्त करने का ही होना चाहिए और नीलंग परियार में दब्बा कैसे समाप्तिजित हो, ये होना चाहिए।

८) यदि संभावित दल्लक माता-पिता तत्काल प्लेसमेंट वर्ग से बच्चा छुनना चाहता है जबकि उनका पञ्जीकरण समर्पण रेफरल का है तो संभावित दल्लक माता-पिता की सम्यक जांच व सम्यक मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह अध्ययन रिपोर्ट में इन माता-पिताओं की उपयुक्तता का आंकलन व तत्काल प्लेसमेंट वर्ग से बच्चे छुनने में उनके विकल्प के कारणों का अध्यतन किया जा सकता है।

९) यह समरण रखना निर्दलता आवश्यक है कि माता-पिता व बच्चे के संदर्भ में बात करते समय व गृह अध्ययन रिपोर्ट लिखते समय हमेशा “गोद लेने के प्रति सकारात्मक भाषा” का प्रयोग करें।

१०) यह समुचित रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना गोद लेने की सफलता के प्रति कितना महत्वपूर्ण है। ऐसाएं हारा सभी दस्तावेजों का उनकी उपयुक्तता व प्रामाणिकता के लिए अच्छी तरह से जाचा व सत्यापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

४. इस परामर्शी सुधारना का होत्रीय भाषणों में अनुवाद किया जाए एवं विशेषीकृत दल्लक ग्रहण अभिकरण व जिला माल सरकार एकक के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाए ताकि वे संभावित दल्लक माता-पिता की गृह अध्ययन व गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के दिशानिर्देशों के तौर पर आसानी से इसका उपयोग कर सकें।

संतुष्टि

संजय बर्होलिया

निदेशक, कार्यालय

प्रियाकर / Sanjay Barholia
Director

निदेशक दलक - लाल्हा, रामगढ़ान पर्सनल
Central Adoption Resource Authority
(लिंगा - एवं जन्म विकास संकाय)
Ministry of Women & Child Development
101, Mofussil Bhawan, Government of India
Lal Bahadur Shastri Marg, New Delhi - 110001
Plot No. 4, Sector-2, Saltana - 110002
A.C.O., Wing-2, 2nd Floor, P.C.D. Building
Sector-2, Saltana - 110002, New Delhi, India



Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक - ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)



सं. / No.....

ठिनांक / Date

परिपत्र सं. कारा—आईसीए/10/2020.निदेशक (कम्प्यूटर सं. 873900)

दिनांक : 04.08.2020

विषय : कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

सेवा में,

सभी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) / केन्द्रीय प्राधिकरण / भारतीय राजनयिक मिशन (आईडीएमएस)

प्रिय एएफएए/आईडीएम/सीएए

- कृपया अभिभावी कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी उपायों के दौरान दत्तक पश्च रिपोर्टों और गृह अध्ययन रिपोर्टों के संबंध में कारा द्वारा दिनांक 11 मई 2020 को जारी परिपत्र का संदर्भ ग्रहण करें।
- उसी के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 09 मई 2018 के परिपत्र सं. कारा—आईसीए012/3/2017 के अनुसार केयरिंग्स पर पीपीएज के पंजीकरण हेतु मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एक अनिवार्य दरतावेज़ है।
- मौजूदा कोविड महामारी के कारण वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया जिस पर सामाजिक दूरी उपायों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया। तथापि उनकी केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एवं जांच जारी रखने के उद्देश्य से पीपीएज द्वारा क्लीनिकल सिटिंग में मनोवैज्ञानिक के साथ आमने—सामने कम से कम एक व्यक्तिगत बैठक की जा चुकी हो।
- यदि क्लीनिकल सिटिंग में मनोवैज्ञानिक के साथ कोई व्यक्तिगत बैठक नहीं हुई है ए केयरिंग्स पर पीएपीज के पंजीकरण के भाग के रूप में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन अथवा ऑनलाइन मूल्यांकन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ह/---

संजय बर्णला

(निदेशक—कारा)

2020–2021 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े

वर्ष 2020–2021 हेतु

(31 मार्च, 2021 को समाप्त)

केंद्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,
नई दिल्ली

के लेखापरीक्षित खातों के संबंध में
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Director General of Audit (Health, Welfare and Rural Development)

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या: AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/

दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

विषय : केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ।

यह प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाएं, इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124 को प्रेषित की जाये।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

अनुलग्नक: यथोपरि

डायरी नं. 25 / Date No. 25.2.22
दिनांक Date 25.2.22
केन्द्रीय-दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
मंत्रिलय, भारत भवन, राज भवन क्षेत्र
Ministry of Women & Child Development, New Delhi
भारत सरकार, Government of India
विधान भवन, नई दिल्ली-110002, भारत
West Block-4, Wing C, 2nd Floor, New Delhi-110002
Ph. : 91-11-23702254
Fax : 91-11-23702271

भवदीया,
- हृ०/-
निदेशक (ए.एम.जी.-II)

पत्र संख्या: AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/ ८५८


दिनांक: 25 FEB 2022

प्रति:

सुश्री तृप्ति गुरहा, सचिव, केन्द्रीय दत्तक —ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, पश्चिमी खंड -8, विंग-2, द्वितीय तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को जब वे संसद में प्रस्तुत किए जाए, दर्शाते हुए इस कार्यालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएँ।

अनुलग्नक: यथोपरि


निदेशक (ए.एम.जी.-II)

पत्र संख्या: AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/


दिनांक:

प्रति:

प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को वार्षिक लेखे की प्रति, उसका पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित की जा रही है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वा.०, क.० एवं ग्रा.० वि.०) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि


निदेशक (ए.एम.जी.-II)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रथक लेखा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 73(2) के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), नई दिल्ली के 31 मार्च, 2021 तक के संलग्न तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस प्रथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियमों, और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि :

- हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखों और प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है, वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- हमारे विचार से, कारा द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रख-रखाव उपयुक्त रूप से किया गया है, जैसाकि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. परिसंपत्तियां

क.१ मौजूदा परिसंपत्तिया, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) – 1127.07 लाख रुपये

क.१.१ 1054.92 लाख रुपये की राशि बकाया पड़ी थी। यह मुद्दा पिछले वर्ष एएसआर में भी उठाया गया था। अभी तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सहायतानुदान

कारा को वर्ष 2020–21 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 752.59 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। जिसमें से, 84.25 लाख रुपये का अनुदान मार्च, 2021 के महीने में प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष में प्राप्त सहायता अनुदान में 104.38 लाख रुपये बकाया था जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को वापस कर दिया गया। इसके पास 26.74 लाख रुपये की आंतिरिक प्राप्तियां थीं। कुल 779.23 लाख रुपये में से, कारा ने 734.89 लाख रुपये का उपयोग किया तथा 44.34 लाख रुपयों का अव्ययित अनुदान बचा।

ग. प्रबंधन पत्र

जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, वे उपचार/शोधक कार्रवाई के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई हैं।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणियों के अधीन, हम यह जानकारी देते हैं, कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है :—

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन-पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखों से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह/
महानिदेशक (एचडब्ल्यूएडआरडी)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया/विभाग की स्थापना नहीं की गई है। सनदी लेखाकार द्वारा वर्ष 2020–21 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता**
 - कारा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि प्रोट्रोवन प्रणाली को समुचित रूप से अंगीकृत नहीं किया गया था। कारा में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है।
 - अग्रिम राशि का लंबे समय से समायोजन नहीं हुआ है।
 - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69(4) के अनुसार, संचालन समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, वर्ष 2020–21 के दौरान संचालन समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं।
 - अचल परिसंपत्तियों और वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन लंबित है।
3. **अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 04.11.2016 तक किया गया है।
4. **वस्तुओं की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
पुस्तकों और प्रकाशन जैसी वस्तुओं की सूची का भौतिक सत्यापन 03.09.2020 तक किया गया है।
5. **बकाया राशि के भुगतान की नियमितता**
वार्षिक लेखों के अनुसार, सांवधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक कोई भी भुगतान बकाया नहीं है।

ह/-

निदेशक (एएमजी-II)



Bhavika Joshi Lathe,
Director

D.O. No.-AMG-II/4-14/SAR/CARA/2021-22/ ४६।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

Office of the Director General of Audit
(Health, Welfare and Rural Development)

Indian Audit and Accounts Department

आगश्मी नं २५१ प. सं. २५.२.२०२२
दिनांक / Date २५.२.२०२२
केंद्रीय दत्तक ग्रहण राज्यालय प्राविकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
परिवारी खण्ड-४, विंग-२, हिंसीय तल, आर.के. पुराम
West Block-8, Wing 2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

Dated: 25 FEB 2022

महोदय,

हमने वर्ष 2020–21 के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण (कारा), नई दिल्ली के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण किया है और दिनांक 25/02/2020 के पत्र संख्या एएमजी-प/4/14/एसएआर/सीएआरए/2020–21–858–880 के माध्यम से लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। हम सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इन्हें आपके ध्यान में ला रहे हैं:

भाग क – अनवरत अनियमितताएं

- परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2016–17 से नहीं किया गया है।

भाग ख – अन्य गौढ़ अनियमितताएं

- निवेश (अनुसूची 10) – 241.35 लाख रुपये

गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि के निवेश हेतु वर्ष 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा विहित निवेश पैटर्न के अनुसार, 45 प्रतिशत तक राशि को बैंकों की मियादी जमा रसीदों में निवेश किया जा सकता है। कारा ने उपदान एवं छुट्टी वेतन की 241.35 लाख रुपये की पूरी संचयी राशि सिंडीकेट बैंकतथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की मियादी जमा रसीदों में निवेश कर दिया जो वित्त मंत्रालय द्वारा विहित पैटर्न के साथ असंगत था। इस मुद्दे को पिछले वर्ष भी एसएआर में उठाया गया था। अभी तक कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- वित्तीय वर्ष से संबंधित किन्तु उस वर्ष में भुगतान नहीं किए गए दावों को तुलन-पत्र के देयता पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए और तदनुरूप व्यय को उस वर्ष जिससे व्यय संबंधित है, के नामे डाला जाना चाहिए। कारा ने मार्च से संबंधित 22,84,276/- रुपये की राशि का व्यय किया लेकिन इसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया। तथापि, इसके लिए वर्ष 2020–21 के लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के व्यय को कम और आय को अधिक दिखाया गया।

3. कारा के पास उपलब्ध वास्तविक एफडीआर का अंकित मूल्य और लेखों में निवेश के सामने दर्शायी गई राशि में अंतर निम्नानुसार थे:

क्र.सं.	एफडीआर सं.	बैंक	वास्तविक मियादी जमा रसीदों के अनुसार राशि	लेखों के अनुसार राशि	अंतर
1.	14003291026	सिंडीकेट बैंक	1422874	24135400	211072
2.	90704058306 / 20	सिंडीकेट बैंक	2089573		
3.	90704050011998 / 18	सिंडीकेट बैंक	1412440		
4.	90704058306 / 19	सिंडीकेट बैंक	1084101		
5.	140006832878 / 1	सिंडीकेट बैंक	5162845		
6.	9070 / 405 / 11998 / 9	सिंडीकेट बैंक	545405		
7.	140003836333 / 1	सिंडीकेट बैंक	1830854		
8.	468303230001192	यूनियन बैंक	5849717		
9.	468303230001189	यूनियन बैंक	4336806		
10.	110006212394 / 2	यूनियन बैंक	189713		
कुल			23924328	24135400	211072

टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कारा ने बताया कि 31.03.2021 तक की शेष अवधि के लिए एफडीआर पर ब्याज की गणना बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज प्रमाणपत्रों के आधार पर की गई थी और एफडीआर के साथ जोड़ दिया गया था। निवेश में अंतर को बैंकों के साथ लेखा समाधान किए जाने की जरूरत है।

भवदीय

ह/-

सुश्री तृप्ति गुहा
सचिव,
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल,
आर.के.पुरमए नई दिल्ली-110066



केंद्रीय दत्तक—गृहण संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

यथा दिनांक 31 / 03 / 2021 तक
का वित्तीय विवरण

वेर्स्ट ब्लॉक-8, बिंग-2, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
टूरमाष-91-011-26180196, टोल फ़्री-1800-11-1311, टेलीफ़ोन-91-011-26180198

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकारण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरुष, नई दिल्ली-110066

1

31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

विवरण	वित्तीय विवरण		(रुपये में)
	वेड्युल	2020-21	2019-2020
कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं			
पूँजीगत निधि			
आरक्षित एवं अधिकोष	1	112,182,470.00	124,649,570.00
निधारित/बंदोबस्ती निधियां	2	-	-
प्रतिभूति ऋण और उधारियां	3	-	-
अप्रतिभूति ऋण और उधारियां	4	-	-
आरक्षित ऋण देयताएं	5	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	6	-	-
द्वय से अधिक आय	7	29,975,570.00	36,137,164.00
कुल		142,158,040.00	160,786,734.00
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	8	5,315,650.00	5,359,897.00
निवेश से निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	9	-	-
निवेश और अन्य	10	24,135,400.00	22,885,362.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अधिस्थान इत्यादि	11	112,706,990.00	132,541,475.00
विवेद्य द्वय			
(उस सीमा तक जिसे बहु खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		142,158,040.00	160,786,734.00

ह/-
(भुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगनाथ याति)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यालयी अधिकारी, कारा

2

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी छंड-8, विंग-2, हितेय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

01.04.2020 से 31.03.2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

विवरण	(राशि रुपये में)		
	बड़युल	2020-21	2019-20
आय			
बिक्री / सेवाओं से आय	12	69,608,826.00	78,087,994.00
अनुदान/सब्सिडी	13	50,000.00	450,000.00
फीस/अभिदान	14	-	-
निवेश से आय (निवेश पर आय निर्धारित/बदोबस्ती से निधि को निधि में अंतरण किया गय	15	-	-
रॉयटरी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अंतित ब्याज	17	1,662,145.00	1,506,961.00
अन्य आय	18	387,717.00	495,547.00
तैयार माल के रट्टक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
और कार्य प्रगति पर है			
	कुल (क)	71,708,688.00	80,540,502.00
व्यय			
खापानना व्यय	20	33,189,443.00	30,056,888.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	50,942,098.00	39,902,489.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में कुल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	1,261,152.00	1,384,089.00
कुल (छ)		85,392,693.00	71,343,466.00
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क--ख)		(13,684,005.00)	
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण			
शेष राशि अधिशेष / (कमी) पूंजी निधि में वहन किया जाना		(13,684,005.00)	9,197,036.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आक्रिस्मक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

ह/-
(झोरा कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(झ. जगनाथ पाठी)
संयुक्त निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकारी
परिचयी खंड-४, लिंग-२, द्वितीय तल, आ.प.के. पुस्तक, नई विली-110066

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

प्राप्तियाँ विवरण	2020-21	2019-20	भुगतान विवरण	विवरण	2020-21	2019-20
(I) अथ ऐशः			(II) वयः			
क) नकद राशि	19370	4196	क) स्थापना वयः	32108906	27436679	
ख) बैंक राशि			ख) प्रशासनिक वयः (अन्तर्क्ष वयः)	33501746	32,621,499	
(i) चूल खातों में (अवधित रेश)			ग) विदेशी राशि के प्रवाहाओं के विवाक भुगतान	-	781,369	
(ii) जमा खातों						
(iii) बचत खाते सिद्धिकर्त बैंक	3816827	410,189	(III) निधियों के विस्तृद्वं किया गया			
ग्रन्तियाँ कौन-कौन सिद्धिकर्त वैंक	6601556	574,742	भुगतान त्रिकालीन परियोजनाएँ के लिए:			
आइटीवीआई बैंक	-	-	- (निवृत्य या परियोजनाएँ का नाम होना चाहिए के लागे के साथ दिखाया गया है			
(IV) अधिक का समायोजन	2,026,968	1,488,846	प्रत्येक पारियोजना के लिए किया गया			
			भुगतान]			
			(V) अधिकों का समायोजन	10,495,086		
(VI) अन्यदान प्राप्तियाँ:			(VI) निवेश और जमा किया गया:			
क) भारत सरकार से:-			क) विधिविति/बंदोबस्ती निधि में से-			
ii) कर्तव्य वयः	74042395	88,17,989	क) रसय की निधि में से (निवृत्य-अन्य)		4,850,000	
ख) राज्य सरकार से	1206605	1,072,011	- (V) अवल परिसंपत्तियों और पूर्जीगत			
ग) अन्य खातों से (जुमाना)			- कार्य-प्रभागि पर व्ययः			
अलग से दिखाया जाए)			- क) नियत परिसंपत्तियों की खरीद	1206605	1,072,011	
			- क) पूर्जीगत कार्य प्रभागि पर व्यय			
(VII) विवेश पर आय ऐशः			(VIII) अन्य और अधिक:			
क) निधिविति/बंदोबस्ती निधि			क) भारत सरकार को			
ख) लव्हाच निधियाँ (अन्य निवेश)			- ख) राज्य सरकार को			
(IX) व्याज प्राप्तियाँ:			- ग) एनआईपीएसआई	3,500,000	14,910,256	
क) बैंक में जमा			- घ) सटाफ	2,758,300	540	
ख) अण अधिक आदि			- उ) त्रिव्यय (मंडार)			
ग) बचत खाता	391836	325,882	(X) वित प्रभार (व्याज):			
घ) निवृत्य और अन्य से व्याज	3000	-				
			(XI) अन्य भुगतान (विवेश):			
(XI) अन्य आय (उल्लिखित):			प्रतिवेशी जमा 413950		1,023,920	
विविध प्राप्तियाँ	51564	11,600				
एकारक्षी	207885	477,512	(XII) अंतः ऐशः			
अन्य (ईपीएफ)	-		क) नकद राशि 588		19,370	
आरटीआई के विस्तृद्वं प्राप्तियाँ	696	520	ख) बैंक रेश			
किस तोर जमाना	50000	450,000	(i) चूल खातों में (अव्याप्ति शेष)			
फ्रेक्चन मशान के उपयोग पर छूट			(ii) जमा खातों में (अव्याप्ति शेष)			
(XIII) ज्ञार ली गई राशि:			(iii) बचत खाते सिद्धिकर्त बैंक (युवीआई)	3,386,818	6,601,556	
(XIV) अन्य प्राप्तियाँ			- आइटीवीआई बैंक	-	3,816,827	
जमा प्रतिष्ठिति			- सिद्धिकर्त बैंक	1,046,163		
कुल	88,418,702	93,133,487	कुल	8,8418,702	93,133,487	

ह/-
(भुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. ज्योतिश पाणी)
सचुक निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

परिचयी छंड-8, विंग-2, हितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	वित्तीय विवरण	
	2019-20	2020-21
अनुसूची 1 : पूँजीगत निधि :		
वर्ष की आंख में शेष राशि	124,649,570.00	114,134,143.00
जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्यक्ति अंशदान	-	-
जोड़ें: कोर्पस/पूँजीगत निधि में अंशदान	124,649,570.00	114,134,143.00
जोड़ें: वर्ष 2018-19 की लेखापरिक्षा रिपोर्ट में एजीसीआर के अवलोकन के कारण समाप्तेजन	1,206,605.00	1,072,011.00
जोड़ें: (कटौती): से अंतरण निवल आय/ (ब्यय) का शेष	(13,684,005.00)	24,6380.00
घटाएः: अथ शेष	-	-
आय और ब्यय राशि	-	-
घटाएः : आरक्षित एवं अधिशेष को अंतरण	-	-
समाप्त वर्ष के अनुसार शेष	112,182,470.00	124,649,570.00
अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष :		
1. पूँजीगत आरक्षित	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान वृद्धि	-	-
घटाएः: वर्ष के दोरान कटौती	-	-
2. पुनर्मुखांकन आरक्षित :		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान वृद्धि	-	-
घटाएः: वर्ष के दोरान कटौती	-	-
3. विशेष स्थिर्वर्तु :		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान वृद्धि	-	-
घटाएः: वर्ष के दोरान कटौती	-	-
4. सामाच्य रिजर्व :		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दोरान वृद्धि	-	-
घटाएः: वर्ष के दोरान कटौती	-	-
कुल	ह/-	ह/-

ह/-

मूल्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

(डॉ. जगन्नाथ पाति)
एम्यूक निदेशक, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण
परिचयी खंड-८, विंग-२, हितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-११००६६

३१ मार्च, २०२१ की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग रही अनुसूची

विवरण	(राशि रूपयों में)	
	2019-20	2020-21
अनुसूची ३ – उद्दिष्ट / अक्षय निधि :		
क) निधि का उथ शेष	शून्य.	शून्य.
ख) निधि में अभिवृद्धि :	शून्य.	शून्य.
(i) अनुदान (ग्रे-योजना) :	शून्य.	शून्य.
क) राजस्व व्यय	शून्य.	शून्य.
ख) पूँजीगत व्यय	शून्य.	शून्य.
(ii) निधियों के वास्ते करि गए निवेश से आय	शून्य.	शून्य.
(iii) अन्य अधिक्य (प्रकृति विनिर्देत करें) :	शून्य.	शून्य.
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पंजीकरण शुल्क	शून्य.	शून्य.
कुल (क + ख)	शून्य.	शून्य.
ग) निधियों के उद्देश्यों प्रति उपयोग / व्यय	शून्य.	शून्य.
(i) पूँजीगत व्यय	शून्य.	शून्य.
* अचल परिस्परियां	शून्य.	शून्य.
* अन्य	शून्य.	शून्य.
(ii) राजस्व व्यय	शून्य.	शून्य.
* वेतन, मजदूरी, भत्ते आदि	शून्य.	शून्य.
* किराया	शून्य.	शून्य.
* अन्य प्रशासनिक व्यय	शून्य.	शून्य.
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व्यय	शून्य.	शून्य.
कुल (ग)		
वर्ष के अंत में निवल षेष कुल (क + ख+ ग)		
नोट :		
1) अनुदान से संबद्ध शर्तों के आधार पर प्रासादिक शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा।		
2) केन्द्रीय / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना राशि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाएगा और किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।		
	ह/-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा
	(मुख्य कुमार)	समुक्त निदेशक, कारा
	लेखा अधिकारी, कारा	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पाणी)
समुक्त निदेशक, कारा

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक यहा संसाधन अभिकरण
परिवर्ती छंड-८, विंग-२, हितीय तल, आर.के. पुर्स, नई दिल्ली-११००६६

३१ मार्च, २०२१ को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	(राशि रूपयों में)	
	2019-20	2020-21
अनुसूची ५ – सुरक्षित ऋण एवं उधारियाँ :		
१. केंद्रीय सरकार	- शून्य-	- शून्य-
२. राज्य सरकार (विनिर्दित करें)	- शून्य-	- शून्य-
३. वित्तीय संस्थाएं	- शून्य-	- शून्य-
क) मियादी ऋण	- शून्य-	- शून्य-
ख) प्राप्त व्याज एवं देय राशि	- शून्य-	- शून्य-
४. बैंकः		
क) मियादी ऋण	- शून्य-	- शून्य-
– प्राप्त व्याज एवं देय राशि	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य ऋण (विनिर्दित करें)	- शून्य-	- शून्य-
– प्राप्त व्याज एवं देय राशि	- शून्य-	- शून्य-
५. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसिया	- शून्य-	- शून्य-
६. डिबेंचर एवं बैंड	- शून्य-	- शून्य-
८. अन्य (विनिर्दित करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	- शून्य-	- शून्य-

नोट : एक वर्ष में देय राशि

ह/-
(योग्य कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यालयी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण
परिचयी खंड-8, विंग-2, हितेय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	(राशि रुपयों में)	
	2019-20	2020-21
अनुसूची 5 – अमुखित ऋण एवं उधारियाँ :		
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दित करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-
4. दैक्षणिक:		
क) सियादी ऋण	-	-
ख) प्राप्त ब्याज एवं देय राशि	-	-
5. अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसिया	-	-
6. विवेचर एवं बैंड	-	-
7. सियादी जमा	-	-
8. अन्य (विनिर्दित करें)	-	-
कुल	-	-
अनुसूची 6 – आस्थिगत देयताएँ :		
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य परिस्थितियों के माल बंधन	-	-
द्वारा हासिल स्वीकार्यता	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

नोट : एक वर्ष में देय राशि

ह/-
(भुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(ज्ञाननाथ पाण्डि)
संस्कृत निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

प्रितीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण
पश्चिमी खंड-8, रिंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुस्त, नई दिल्ली-110066
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	2019-20	2020-21
अनुसूची 7 – चालू देयताएँ एवं प्रावधान:		
क. चालू देयताएँ		
अव्ययित सहायता अनुदान	4,433,569.00	10,437,753.00
व्यय के लिए प्रावधान (अनुबंध-ग के अनुसार)	-	704,546.00
ई.पी.एफ. संगठन	-	-
प्रतिशूलि जमा	1,458,622.00	1,901,144.00
टीजीएस कॉट्रेक्टर	-	-
टीजीएस व्यावसायिक/वेतन	3,467.00	57,333.00
टीजीएस पर जीएसटी स्टाफ बी.के. साहू का आता स्टाफ डॉ. जे पति का खाता	-	-
प्रशिक्षण व्यय पर देय (स्नातकीयाएँ)	30,982.00	15,376.00
स्टाफ वीरेन्द्र कुमार मिश्रा का खाता	131,038.00	131,038.00
मुगलान एवं लेखा अधिकारी, एजीएमपी, ग्वालियर	6,073,054.00	13,247,190.00
कुल-क		
छ-प्रावधान :		
1. कराधान के लिए_	<i>13,214,513.00</i>	12,560,549.00
2. ग्रन्तियाँ		
3. सेवानिवृत्त / पैसान		
4. संचित अवधाश नकदीकरण	<i>10,688,003.00</i>	10,329,425.00
5. व्यापार वारंटियाँ / दावित		
6. अन्य (विशेष)		
प्रशासनिक के लिए प्रावधान और स्थापना व्यय (अनुबंध-घ)		
व्यय के लिए प्रावधान		
कुल छ	23,902,516.00	22,889,974.00
कुल (क+छ)	29,975,570.00	36,137,164.00

ह/-
(झुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यालयी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकारण
परियमी छंड-8, विंग-2, वित्तीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

अनुमूली 8 – नियत परिसंपत्तियाँ : अनुबंध-क के अनुसार –

31.3.2021 को अचल परिसंपत्ति अनुमूली

विवरण	सकल ब्लॉक			विवरण			राशि रूपये में		
	लागत/मूल्य शुल्कात के रूप में साल का	परिवर्तन दैशन वर्ष	कटाई दैशन वर्ष	लिखा हुआ प्र० मूल्य वर्ष के अत विभाज से पहले	शुल्कात के रूप में साल का	अतिरिक्त पर दैशन वर्ष	अतिरिक्त विवरण पर दैशन वर्ष	कुल कुप्रतक वर्ष के अत विवरण में चार्ज किया गया पीआर अमी साल वापस लिखा	के रूप में वर्तमान वर्ष के अत
क. नियत परिसंपत्तियाँ :									
1. भूमि :									
क) फ्रीहोल्ड									
ख) लीजिंहोल्ड									
2. भवन :									
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर									
ख) लीजिंहोल्ड भूमि पर									
ग) स्थानिक पलेट /पारिसर									
घ) भूमि पर अधिकाराना इकाई से सरक्षित नहीं									
3. संयंत्र मर्मान्तरी और उपकरण									
4. वाहन									
5. फर्मीर फिल्फर (10 %)	4,970,887	2,440,394	-	2,530,493	244,043	-	2,774,536	2,196,351	2,440,394
6. कार्यालय उपकरण (15 %)	3,362,156	1,575,289	164,447	11,574	1,728,162	1,786,867	245,965	8,574	2,024,258
7. कार्यालय /परिदेशीय (40 %)	6,160,168	1,081,764	848,458	-	1,930,222	5,078,404	645,465	-	5,723,869
8. विद्युत संरचनाएँ									
9. दिवाने और जल आपूर्ति	45,521	374	262,076	207,000	-	374	164,719	117,105	-
10. अन्य अचल परिसंपत्तियाँ (पुस्तकालय)									
11. कार्यक्रम परिसंपत्ति									
कुल	14,538,732	5,359,897	1,219,905	11,574	6,568,228	9,560,483	1,252,578	8,574	- 10,804,487
ख. पूँजीगत कार्य प्रगति पर है									
कुल योग	14,538,732	5,359,897	1,219,905	11,574	6,568,228	9,560,483	1,252,578	8,574	- 10,804,487

ह/-
(मुख्य कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. ज्योतिश पाणी)
समुक्त निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

परिचयी संख्या ८, विग्रह-२, हिंदीय तत्त्व, आर.के. पुस्तक, नई दिल्ली-११००६६

३१ मार्च, २०२१ को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियाँ

	विवरण	2019-20	2020-21	2020-21
अनुसूची ९ – निधारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश:				
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-	-
2. अन्य स्थीकृत प्रतिभूतियाँ		-	-	-
3. शेरार		-	-	-
4. डिंबेचर और बैंड		-	-	-
5. सहयोगक और संयुक्त उद्यम		-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		-	-	-
	कुल			
अनुसूची १० – निवेश – अन्य:				
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-	-
2. अन्य स्थीकृत प्रतिभूतियाँ		-	-	-
3. शेरार		-	-	-
4. डिंबेचर और बैंड		-	-	-
5. सहयोगक और संयुक्त उद्यम		-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		-	-	-
व्याज उपर्याक्त लेनदेन प्राप्त नहीं हुआ सावधि जमा (सिंडिकेट बैंक / यूबीआई के साथ))		24,135,400.00	24,135,400.00	22,885,362.00
	कुल			
				22,885,362.00

ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

परिचयी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुस्त, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुभूविया

विवरण	2019-20	2020-21
- अनुभूवी 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अधिम आदि		
क. चालू परिसंपत्तियां :		
1. इन्वेंटरी:		
क) स्टोर और स्वयंर्बर	-	
ख) लोज ट्रॉल्स	-	
ग) स्टोक इन ट्रॉड	-	
तैयार माल	-	
कार्य प्रगति पर है	-	
कच्चा माल	-	
कुल		
2. वित्ती देनदार :		
क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		
ख) अन्य		
	588.00	19370.00
3. शेष नकद राशि (चेक / ड्रापट और अप्रदाय सहित) :		
4. बैंक शेष :		
क) अनुभूवित बैंकों के साथ :		
* चालू खातों पर		
* जमा खातों पर (मार्जिन मती सहित)		
* बचत खातों पर		
	4,432,981.00	10,418,383.00
ख) गेर-अनुभूवित बैंकों के साथ:		
* चालू खातों पर		
* जमा खातों पर		
* बचत खातों पर		
5. डाकघर-बचत खाते		
कुल	4,433,569.00	10,437,753.00

ह/-
(भुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. ज्योतिश पाणी)
संस्कृत निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

	12
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	
1. ऋण:	
क) स्टाफ (अनुबंध 'क')	2,763,300.00
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं	4,1500.00
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	
2. अग्रिम और अन्य राशियाँ जो नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य के रूप में वस्तु की जा सकती हैं प्राप्त हो :	
क) पूँजीगत खातों पर	4848737.00
ख) पूर्व भुगतान	3826136.00
ग) अन्य:	8280626.00
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जाग लकड़ता	72512770.00
एनआईसी	39431.00
सीपीडब्ल्यूडी	3823151.00
डीएवीपी	63459.00
घ) पोरस्टेज अग्रिम	8000.00
एनआईसीएसआई	0.00
डीजीएस और डी	3564.00
भूसंपदा निदेशालय	25000.00
विदेशी टीए अग्रिम	12065000.00
मैरसर्स ऊजा मल्हौत्रा	13025000.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	540.00
केंद्रीय भंडार	0.00
3. उपर्युक्त आय :	
क) निधारित / बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	
ख) निवेश पर – अन्य (एफडीआर)	0.00
ग) ऋण और अग्रिम पर	
घ) अन्य	17271.00
प्राय अनुदान सहायता	187395.00
4. प्राय दावे :	
कुल (क)	108,273,421.00
कुल (क+ख)	112,706,990.00
	122,103,722.00
	132,541,475.00

ह/-
मूल्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
(चुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण
परिचयी संख्या खंड-8, चिंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुस्त, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

(राशि रुपयों में)

विवरण	(राशि रुपयों में)	
	2019–20	2020–21
अनुसूची 12 – बिक्री और सेवाओं से आय :		
1) बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
छ) कच्चे माल की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
ग) रही की बिक्री	- शून्य-	- शून्य-
2) सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रक्रमण प्रभार	- शून्य-	- शून्य-
छ) पेशेवर / परामर्श सेवाएं	- शून्य-	- शून्य-
ग) एंजेंसी कमीशन और दलाली	- शून्य-	- शून्य-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपरकर / संपत्ति)	- शून्य-	- शून्य-
ङ) अन्य (विनिर्दिट करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल	-	-

ह/-
(मुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कार्य

ह/-
(जगन्नाथ पाण्डि)
संस्कृत निदेशक, कार्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य
ह/-

परिचयी संबंध–८, विंग–२, द्वितीय तल, आर.के. पुस्त, नई दिल्ली–११००६६

३१ मार्च, २०२१ को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुमतियाँ

विवरण	2020-21	2019-20
अनुमूली १३ – अनुदान / सान्देशी :		
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और साजिनी प्राप्त)	-	-
जोड़े– अव्याख्यित पर अनुदान	10,437,753	989,127
1) केंद्र सरकार	75,249,000	89,390,000
घटाएः– ३१ / ०३ / २०२१ तक व्यय नहीं किया गया अनुदान	4,433,569	10,437,753
घटाएः– पूंजीगत निधि में राशि अंतरण	1,206,605	1,072,011
2) राज्य सरकार (रु)		
3) सरकारी एजेंसियाँ		
4) सञ्चान / कल्याण निकाय		
5) अतरराष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें) भारत की संचित निधि में अंतरण	10,437,753	781,369
कुल	69,608,826	78,087,994

ह/-
(युरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
मृत्यु कार्यालयी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकारण

परिचयी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	2019-20	2020-21	2020-21
<u>अनुसूची 14 – फीस/सदस्यता/जुमाना</u>	-	-	-
1. प्रवेश फीस	0.00	0.00	0.00
2. वार्षिक फीस/सदस्यता	0.00	0.00	0.00
3. सेमिनार/कार्यक्रम फीस	0.00	0.00	0.00
4. परामर्शदात्री फीस	0.00	0.00	0.00
5. अन्य (निविड़ करें)	0.00	50,000	450,000
6. जुमाना		50,000	450,000
कुल			
नोट: प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियों का खुलासा किया जाना है			

ह/-
 (भूरेश कुमार)
 लेखा अधिकारी, कार्य

ह/-
 (ज्ञाननाथ पाण्ठी)
 संस्कृत निदेशक, कार्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य
 ह/-

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकारण
परिचयी खंड-8, लिंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुस्त, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	उद्दिष्ट निधि स निवेश	
	2020-21	2019-20
अनुसूची 15 – निवेश से आय :	-	-
कोष में उद्दिष्ट / अक्षय निधि से स्थानांतरित निवेश से आय	-	-
1. व्याज	-	-
क) सरकारी प्रतिभूति पर	- शून्य-	- शून्य-
ख) अन्य बौन्ड / डिवेन्चर	- शून्य-	- शून्य-
2. लागंश	- शून्य-	- शून्य-
क) शेयरों पर	- शून्य-	- शून्य-
ख) स्चूबल फंड प्रतिभूति पर	- शून्य-	- शून्य-
3. किराया	- शून्य-	- शून्य-
4. अन्य (विविरित करें)	- शून्य-	- शून्य-
कुल उद्दिष्ट / अक्षय निधि में स्थानांतरित	-	-

ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा
संस्कृत निदेशक, कारा
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण
परिचयी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

विवरण	(राशि रूपयों में)		
	2019-20	2020-21	2019-20
अनुसूची 16 – रॉयलटी, प्रकाशन आदि से आय :-			
1) रॉयलटी से आय	-	-	- शून्य-
2) प्रकाशन से आय	-	-	- शून्य-
3) अन्य (विनिर्दिट करें)	-	-	- शून्य-
कुल	-	-	-

ह/-
(भूरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कार्य

ह/-
(ज्ञाननाथ पाण्डि)
संस्कृत निदेशक, कार्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य
ह/-

18

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	2019-20	2020-21	2020-21	2019-20
अनुसूची 17 – ब्याज अर्जितः	-	-	-	-
1) मियादी जमाराशियों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	1250038.00	-	1250038.00	1061456.00
ख) गेर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) संस्थानों के साथ	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
2) बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	405244.00	-	405244.00	445505.00
ख) गेर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) संस्थानों के साथ	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
3) ऋण पर:				
क) कर्मचारी / कर्मचारी	6,863.00	-	6,863.00	0.00
बी) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल	कुल	कुल
		1,662,145.00	1,506,961.00	1,506,961.00

नोट: खोत पर कर कटौती का संकेत दिया जाना चाहिए

ह/-
 (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा
 लेखा अधिकारी, कारा
 एम्यूक निदेशक, कारा

ह/-
 (डॉ. जगन्नाथ पाति)
 एम्यूक निदेशक, कारा

ह/-
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकारण

परिचयी खड़-8, विंग-2, हितोय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	2019-20	2020-21	2019-20
अनुसूची 18 – अन्य आय :			
1) परिसंपत्ति के प्रति /ई/निपटन पर लाभ का स्थानिक वाली परिसंपत्ति	-	0	0
ख) अनुदान से अर्जित की गई परिसंपत्तियाँ, या निशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्ति	0	0	0
2) नियर्थत प्रोत्साहनों का एहसास	0	0	0
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	0	0	0
4) विविध आय	179,136	17,515	
पुराने अखारों और पत्रिकाओं की बिक्री	0	0	0
डाक विभाग द्वारा छूट फैक्रिंग मशीन के उपयोग पर आरटीआई शुल्क	0	0	0
प्राप्त विदेशी अंशदान	696	520	
इंटरनेशनल मीट (रूपये फीस ए /सी)	0	0	0
एफएससी रिकॉर्ड (अवकाश वेतन) खाता	207,885	477,512	
कुल	387,717	495,547	

ह/-
 (भुरेश कुमार)
 लेखा अधिकारी, कार्य

ह/-
 (ज्ञाननाथ पाणी)
 संस्कृत निदेशक, कार्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य
 ह/-

वित्तीय विवरण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण
पाठियमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुस्त, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग ही अनुसूची

20

(राशि रुपयों में)

विवरण	(राशि रुपयों में)	
	2020–21	2019–20
अनूसूची 22 – तैयार माल और प्रगति पर कार्य में वृद्धि / (कमी)	-	-
क) अतिम स्तर्क	- शून्य-	- शून्य-
i) तैयार माल	- शून्य-	- शून्य-
ii) प्रगति पर कार्य	- शून्य-	- शून्य-
ख) कमी : प्रारम्भिक स्तर्क	- शून्य-	- शून्य-
i) तैयार माल	- शून्य-	- शून्य-
ii) प्रगति पर कार्य	-	-
कुल	-	-

ह/-
(योग कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यालयी अधिकारी, कारा

परिचयी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुस्त, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	2019-20	2020-21	2020-21	2019-20
अनुसूची 20 – स्थापना व्यय :				
क) वेतन और मजदूरी	-	22,951,255	-	21,178,107
छ) जनशक्ति फीस (संविदा कर्मचारी)		-	583,778	
ग) भत्ते, बोनस और मानदेय	5,000		85,594	
घ) टचूशन फीस की प्रतिपूर्ति	594,000		366,750	
ड) छुट्टी वेतन भुगतान	1,778,374		660,473	
च) ग्रेड्युली भुगतान	921,902		616,130	
छ) लिंगिक्ट्रा व्यय	2,310,272		599,915	
ज) एलटीसी व्यय	756,294		74,100	
झ) पीएफ में नियोक्ता का योगदान	1,704,070		1,347,947	
ज) ईडीएलआई (पीएफ)	14,400		13,425	
ट) ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क	63,415		64,046	
ठ) एफएससी	1,062,919		1,591,828	
ड) टीज रेट	-		-	
छ) ग्रेड्युली प्रावधान	653,964		1,954,195	
ण) अवकाश वेतन प्रावधान	358,578		920,600.00	
त) स्टाफ वर्द्ध फीस	15,000		-	
कुल का+ख	33,189,443	30,056,888		

ह/-
(भूरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कार्य

ह/-
(ज्ञाननाथ पाण्ठे)
संस्कृत निदेशक, कार्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य
ह/-

विवरण

परिचयी खंड-८, विग-२, वित्तीय दत्तक ग्रहण संस्थान अधिकारण
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान अधिकारण
परिचयी खंड-८, विग-२, वित्तीय तल, आर.के. पुरा, नई दिल्ली-११००६६

३१ मार्च, २०२१ को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची २१ – अन्य प्रशासनिक व्यय :—	विवरण	
		२०२०-२१	२०१९-२०
विज्ञान और प्रचार	2,803,083.00	1,412,382.00	
लेखापेक्षा फीस	133,440.00	117,270.00	
बैंक प्रभार	768.00	1,829.00	
देखरेख व्यय			
कम्यूटर सेटवर्किंग एस्टरिंज	13,020,032.00	1,454,532.00	
परामर्शी सेवा प्रभार	24,813.00	89,975.00	
वाहन व्यय	22,038,651.00	19,721,444.00	
हिंदी प्रख्याजा व्यय	7,288.00	56,923.00	
विज्ञान समिति सदस्यों के खाते में मानदेय, टीए/जीए	-	61,718.00	
निरीक्षण और निगरानी व्यय	74,735.00	269,215.00	
इन्टर्नशिप व्यय	29,192.00	81,128.00	
बैंक व्यय	26,333.00	520,867.00	
समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएं	38,848.00	129,795.00	
कार्यालय का व्यय	60,150.00	79,017.00	
आक और टेलीग्राम फीस	17,996.00	70,236.00	
मुद्रण व्यय	146,897.00	105,597.00	
पेशेवर युवक और कानूनी भर्ती और प्रशिक्षण व्यय	19,167.00	313,240.00	
कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव	140,078.00	221,885.00	
कार्यालय फ़िरात की मरम्मत और रखरखाव	225,144.00	51,962.00	
कार्यालय उपकरण की मरम्मत और रखरखाव	29,138.00	32,934.00	
सुरक्षा और सफाई व्यय	131,338.00	72,588.00	
बैठने का शुल्क खाता	2,756,195.00	195,512.00	
टेलीफोन शुल्क	47,700.00	-	
टोल मीट्री हेल्प लाइन व्यय	701,140.00	2,696,690.00	
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम व्यय	745,376.00	851,232.00	
यात्रा व्यय	66,229.00	715,235.00	
वाहन किरण पर लेना (कर)	4,711,417.00	97,098.00	
पानी और बिजली शुल्क	450,550.00	7,566,090.00	
विदेशी ट्रैंप व्यय	1,139,580.00	802,101.00	
उत्तर पर्टी क्षेत्र व्यय	76,872.00	1,251,290.00	
आकस्मिकताएं (विविध व्यय) खाता	-	82,121.00	
एन्डोस्टी समिति के सदस्यों को मानदेय खाता	444,564.00	54,089.00	
कुल व्यय	179,384.00	83,494.00	
	656,000.00	643,000.00	
	50,942,098	39,902,489	

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
मर्या कार्यकारी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण
परिचयी खंड-8, तिंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुस्प, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय और व्यय का भाग रही अनुसूची

(राशि रूपयों में)

विवरण	2019-20	2020-21	2019-20
अनुसूची 22 – अनुदान, उपदान आदि पर व्यय :			
- क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायकी	- - शून्य- - शून्य-	- - शून्य- - शून्य-	- - शून्य- - शून्य-
कुल	-	-	-
नोट : संस्थाओं के नाम, अनुदान/सहायकी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का प्रकारीकरण किया जाए।			
अनुसूची 23 – व्याज			
- क) मियादी जमा पर : पीएमएस ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) क) अन्य (विनिर्दित करें)	- - शून्य- - शून्य- - शून्य-	- - शून्य- - शून्य- - शून्य-	- - शून्य- - शून्य- - शून्य-
कुल	-	-	-

ह/-
(मुरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कार्य

ह/-
(जगन्नाथ पाण्डि)
समुक्त निदेशक, कार्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखों का भाग बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची – 24

लेखे तेयार करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / आधार –

1. लेखांकन परिपाठी :

 1. लेखांकन की प्रोड्सन रीति से तेयार किए गए हैं।

2. वस्तु सूची मूल्यांकन :
3. निवेश :

 - “दीर्घकालीन निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर दर्शाइ गए हैं।

4. अचल परिसंपत्तियाँ :

 - 4.1 अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं मंडार एवं स्पेयर का लागत पर मूल्यांकन किया गया है।
 - 4.2 गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजी कोष में संगत जमा द्वारा बताए गए मूल्य पर किया जाता है।

5. मूल्यहास :

 - 5.1 01.04.2018 से मूल्यहास महानियंत्रक एवं लेखांपरीक्षकद्वारा वर्ष 2017–18 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार आय कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर डल्यूडीवी पर किया गया है।
 - क. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/घटाव के संबंध में, मूल्यहास पर दो अर्ध वार्षिक आधारों पर विचार किया जाता है।
 - ख. 5000/- रुपये अथवा उससे कम की प्रत्येक परिसंपत्ति लागत पूरी तरह ली गई है।
 - ग. अचल परिसंपत्तियों की अवशिष्ट लागत, लागत के 5: पर ली गई है।

6. सरकारी अनुदान/सहायिकी :

 - 6.5 सरकारी अनुदान/सहायिकी का प्रोहवन आधार पर परिकलन किया गया है।
 - 6.6 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत व्यय हेतु विशेष निर्देश के साथ प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए अन्यथा अविनिर्दिष्ट पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्ययित राशि को पूंजीगत कोष में दर्शाया गया है।

ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
(डा. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

पट्टा :

7. पट्टा कियाये की रकम को पट्टे की निबंधन के संदर्भ में व्यय किया गया।
8. **सेवानिवृति लाभ :**
 - 8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृति पर देय उपदान के लिए प्रावधान वीमांकिक गणना के आधार पर प्रोइक्ट तथा परिकलित किया गया है।
 - 8.2 कर्मचारियों को जमा छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान वीमांकिक गणना के आधार पर प्रोइक्ट तथा परिकलित किया गया है।

हृषेण कुमार
(हस्ताक्षर)

ज्ञाननाथ पाण्डि
(हस्ताक्षर)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्या
समुक्त निदेशक, कार्या

हृ/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्या

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
पश्चिमी खंड-8, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखों का भाग बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची – 25

आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी नोट

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य हैं।
2. संचालन समिति के विचार से, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कम से कम सामान्य व्यवसाय में वसूली के बराबर होता है।
3. आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के महेनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
4. अनुसूची 1 से अनुसूची 25 तक और 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के साथ संलग्न हैं और इसका अभिन्न भाग है।

ह/-
(योगेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ह/-

कन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

विवरण	परिस्थिती चंड-४, विग-२, विरोधी तर, आर के. पुण, नई दिल्ली-११००३६						2020-21						अनुबंध-५							
	सकार लाभांक	वार्षिकीय उत्पादन/ शुद्ध भूमि	वर्ष के आरम्भ में तिवित उत्पादन भूमि	वर्ष के दोषान परिवर्तन	कुल मात्रा	वर्ष के अंत पर लागत/ भूमि-	कुल मात्रा	वर्ष के आरम्भ में तिवित उत्पादन भूमि	वर्ष के दोषान परिवर्तन	कुल मात्रा	वर्ष के अंत पर लागत/ भूमि-	कुल मात्रा	वर्ष के आरम्भ में तिवित उत्पादन भूमि	वर्ष के अंत पर लागत/ भूमि-	कुल मात्रा	वर्ष के आरम्भ में तिवित उत्पादन भूमि	वर्ष के अंत पर लागत/ भूमि-	कुल मात्रा		
क. कम्फीटर और फिल्मकार : (10%)																				
31/03/2013 तक (विवा संस्था)	1	3,251,249	1,549,558	-	-	1	1,549,558	170,1691	154,956	185,6647	1,394,602	1,549,558								
वार्षिक रिपोर्ट एस २ ट्रैक (29 / 10 / 14)	1	43,500	24,263	-	-	1	24,263	19,237	2,426	21,663	21,837	24,263								
टटील हाईफॉन डेवल २८ / ११ / १४	1	13,000	7,251	-	-	1	7,251	5749	725	6,474	6,526	7,251								
स्टेल विप्रिय टोकर (27 / ११ / १४)	4	28,000	15,618	-	-	4	15,618	12,382	1,362	13,944	14,056	15,618								
इडन एक्सोटिक ट्रेवल लेहक २८ / ११ / १४	1	34,000	18,965	-	-	1	18,965	150,355	1,897	169,52	17,068	18,965								
इडन सेट्टर ट्रेवल लाइस एस २८ / ११ / १४	1	5,600	3,123	-	-	1	3,123	24,77	312	2789	2,811	3,123								
इडन कम्पनी ट्रेवल ट्रैवल लाइस २८ / ११ / १४	2	9,000	5,020	-	-	2	5,020	3980	502	4,482	4,518	5,020								
इडन बॉर्ड विद स्टैंड (१२ / ६ / २०१५)	1	7,788	4,510	-	-	1	4,510	3278	451	3,729	4,059	4,510								
विशेष ट्रेवल ट्रैवल लाइस (२८.२३-५०) ३/१२/२०१५	1	37,000	23,326	-	-	1	23,326	13,674	2,333	16,007	20,993	23,326								
विशेष ट्रेवल लाइस (३/१२/१५)	1	6,650	4,191	-	-	1	4,191	24,59	419	24,59	24,59	4,191								
सेल्सट्राइट एक्सोटिक ट्रेवल २१.९.१६	2	79,700	55,357	-	-	2	55,357	24,343	5,536	29,879	49,821	55,357								
ओरिजिन एक्सोटिक ४८X३० (२८.२.१७)	3	29,700	21,581	-	-	3	21,581	8119	2,158	10,277	19,423	21,581								
ओरिजिन एक्सोटिक ६०X३०X३० (२८.२.१७)	2	23,160	16,829	-	-	2	16,829	63,31	1,683	8014	15,146	16,829								
एक्सोटिकट्रैवल लाइस एक्स एक्स (१.१.१.१६)	1	6,075	4,259	-	-	1	4,259	1816	426	2242	3,833	4,259								
एक्सोटिकट्रैवल लाइस (१.१.१.६ लेटो)	8	26,100	1,057	-	-	8	1,057	25,043	106	25,149	951	1,057								
फायद सेट गोपनीय सेट १.१.१.६ (लेटो)	1	19,125	13,406	-	-	1	13,406	5719	1,341	7060	12,065	13,406								
एक्सोटिकट्रैवल लाइस (लेटो)	1	18,000	12,617	-	-	1	12,617	5383	1,262	6645	11,355	12,617								
विप्रिय ट्रेवल एक्स (१६.१२.१६)	12	30,900	21,660	-	-	12	21,660	9240	2,166	11,406	19,494	21,660								
कॉर्स ट्रैवल लाइस (१.१.१७ (जेटो))	2	6,300	4,496	-	-	2	4,496	1,804	450	2,254	4,046	4,496								
सेट्रिल ट्रैवल १.१.१७ (जेटो)	1	7,312	5,219	-	-	1	5,219	2093	522	2615	4,697	5,219								
विप्रिय ट्रेवल १.१.१७ (जेटो)	16	78,700	56,177	-	-	16	56,177	25,253	5,618	28141	50,559	56,177								
ओरिजिन एक्सोटिक ४२X२४.१५.२.१७	5	42,750	30,927	-	-	5	30,927	11,823	3,093	14916	27,834	30,927								
ओरिजिन एक्सोटिक ४८X२४.१५.२.१७	1	9,250	6,691	-	-	1	6,691	25,59	669	3,228	6,022	6,691								
ओरिजिन एक्सोटिक ४८X३०.१५.२.१७	3	29,700	21,485	-	-	3	21,485	8215	2,149	10,364	19,336	21,485								
कॉर्स ट्रैवल १५.२.१७	9	110,250	79,758	-	-	9	79,758	30,942	7,976	38,468	71,782	79,758								
सोफा सेट गोपनीय सेट २२.२.१७	2	11,910	8,654	-	-	2	8,654	3256	865	4121	7,789	8,654								
सोफा २ शोर्ट १६.३.१७	1	9,330	6,780	-	-	1	6,780	2550	678	3,228	6,102	6,780								
सोफा ३ शोर्ट २२.२.१७	1	11,580	8,414	-	-	1	8,414	3166	841	4,007	7,573	8,414								
हॉट बैक ट्रैवल २२.२.१७	6	35,730	25,963	-	-	6	25,963	9767	2,596	12,363	23,367	25,963								
इडन सोफा सेट २ शोर्ट १६.३.१७	1	20,250	14,779	-	-	1	14,779	5471	1,478	10,824	9,742	10,824								
इडन सोफा सेट २ शोर्ट १६.३.१७	2	20,250	14,779	-	-	2	14,779	5471	1,478	10,824	9,742	10,824								
सोफा २ शोर्ट १६.३.१७	1	10,125	7,390	-	-	1	7,390	2735	739	3,474	6,651	7,390								
सालड ट्रैवल १६.३.१७	2	5,625	4,107	-	-	2	4,107	1518	411	1,929	3,696	4,107								
सोफा ट्रैवल १६.३.१७	1	25,312	18,554	-	-	1	18,554	6,758	1,855	8,613	16,699	18,554								
हॉट हॉट ट्रैवल सेट २८.३.१७	1	14,766	10,824	-	-	1	10,824	3942	1,082	14,779	14,779	14,779								
सिसिन २४.३.१७	1	39,656	29,070	-	-	1	29,070	10,866	2,907	13,493	26,163	29,070								
सिसिन एक्सोटिक ४८X३०X३०' (१५.५.१७)	1	9,900	7,321	-	-	1	7,321	2579	732	3,311	6,589	7,321								
सिसिन एक्सोटिक ४८X२४X३०' (६.६.१७)	1	8,550	6,377	-	-	1	6,377	2173	638	2811	5,739	6,377								
सिसिन एक्सोटिक ४८X३०X३०' (६.६.२०१७)	1	9,900	7,321	-	-	1	7,321	2579	732	3,311	6,589	7,321								
हॉट हॉट ट्रैवल सेट २८.३.१७	6	37,890	28,193	-	-	6	28,193	9607	2,819	12,426	23,374	28,193								
इस्ट लाइट (सि.१२.) १५.६.१७	10	6,248	254	-	-	10	254	5994	25	60,19	229	254								
इस्ट लाइट (सि.१४.) १५.६.१७	12	12,537	508	-	-	12	508	12029	51	12080	457	508								
इस्ट लाइट (सि.१६.) १५.६.१७	4	6,090	247	-	-	4	247	5843	25	5868	222	247								
ओरिजिन एक्सोटिक १२००X१००X४५० २९.९.१७	7	90,998	70,207	-	-	7	70,207	20791	7,021	27812	63,186	70,207								

ह/-
(मुख्य कुमार)
तेज्ज्वा अधिकारी, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा
रिपोर्ट निदेशक, कारा

आप्सिस अलगाया 78"X36"X19"	15	94,204	2,686	-	-	15	2,686	91518	269	91787	2,417	2,686
आप्सिस अलगाया 50"X30"X17"	5	19,019	-	-	-	5	-	19019	-	19019	-	-
इकू कैस, 4 दबावजे	3	13,559	-	-	-	3	-	13559	-	13559	-	-
एकप्रीत्यक्तिव विजिटर वेगवर्त	10	35,952	-	-	-	10	-	35952	-	35952	-	-
फाइल कैमिनेट, 2 ड्रॉयर	4	15,630	-	-	-	4	-	15630	-	15630	-	-
फाइल कैमिनेट, 4 ड्रॉयर	5	27,113	1,098	-	-	5	1,098	26015	110	26125	988	1,098
सेन्टर टेबल	3	9,882	-	-	-	3	-	9882	-	9882	-	-
एसर कंटेनर विद स्टेल्लाइजर	3	99,686	4,037	-	-	3	4,037	95649	404	96053	3,633	4,037
स्लम हैटर	4	1,400	-	-	-	4	-	1400	-	1400	-	-
ब्रास लैम्प	1	5,976	242	-	-	1	242	5734	24	5758	218	242
कैबिन फॉन	1	550	-	-	-	1	-	550	-	550	-	-
एसर कंटेनर विद स्टेल्लाइजर	2	52,000	14,116	-	-	2	14,116	37884	1,412	39296	12,704	14,116
एसर कंटेनर विद स्टेल्लाइजर	1	32,000	11,972	-	-	1	11,972	20028	1,197	21225	10,775	11,972
एसी विन वील्टाज विद स्टेल्लाइजर 1.5 टन	2	52,600	27,766	-	-	2	27,766	24834	2,777	27611	24,989	27,766
एसी स्लेल वील्टाज 2 टन विद स्टेल्लाइजर	1	46,000	24,282	-	-	1	24,282	21718	2,428	24146	21,854	24,282
शेपिस्स रस्मीयी 700 वीप (जेन / 14)	1	4,850	202	-	-	1	202	4648	20	4668	182	202
वील्टाज एसर कंटेनर 31,3,17	3	85,300	55,960	-	-	3	55,960	29334	5,597	3931	50,369	55,966
एसर कंटेनर स्टेल्लाइजर 3,5,17	6,000	243	-	-	-	243	-	5757	24	5781	219	243
स्लिटिंट एसी 1.5 टन 19.6,17	1	29,800	20,698	-	-	20,698	-	9102	2,070	11172	18,628	20,698
कुल		4,970,887	2,440,394	-	-		2,440,394	2,530,493	244,043	2,774,536	2,196,351	2,440,394
ख. कार्यालय उपकरण (15.00%)			-	-	-		-	-	-	-	-	-
ऐफिंस्टर वर्कफूल 190 लीटर (29/10/14)	1	12,500	4,563	-	-	1	4,563	7937	684	8621	3,879	4,563
वाटर डिजिटल वील्टाज (5/11/14)	1	10,000	3,650	-	-	1	3,650	6350	548	6898	3,102	3,650
टेव्हिकोन इन्वॉर्मेस्ट वील्टाज 3/1/3/15	10	8,949	3,395	-	-	10	3,395	5554	509	6063	2,886	3,395
ऐफिंस्टर एली इलेक्ट्रोलक्स 195 लीटर (31/3/15)	1	13,800	5,234	-	-	1	5,234	8566	783	9351	4,449	5,234
ऐफिंस्टर इलेक्ट्रोलक्स 195 लीटर (31/3/15)	1	9,600	3,641	-	-	1	3,641	5959	546	6505	3,095	3,641
वाटर डिजिटल वील्टाज (3/1/3/14)	3	26,400	10,014	-	-	3	10,014	16386	1,502	17888	8,512	10,014
माझकोरेक ओवन आईएफी (31/3/15)	3	17,700	6,713	-	-	3	6,713	10987	1,007	11994	5,706	6,713
स्टर ईप्रियोरीएस विद 3 पी एंड टी लाइन 28/11/2014	1	8,505	2,642	-	-	1	2,642	5863	396	6259	2,246	2,642
प्रापारोनि प्राप वटन देली इक्स्ट्रेंस 28/11/14	2	6,300	1,953	-	-	2	1,958	4342	294	4636	1,664	1,958
कैन्स म्स्केनर ऑडीटर- प्राप 1000 34 एफी 20/02/16	2	299,122	130,570	-	-	2	130,570	168552	19,586	188138	110,984	130,570
कैन्स डिजिटल मल्टी छिन्टर एमएफ 6/180 08/2/16	5	220,500	96,251	-	-	5	96,251	124249	14,438	136867	81,813	96,251
माझकोरेक यूपीएस 800 वीर 27,7,16	1	4,388	158	-	-	1	158	4230	24	4254	134	158
मुकेम यूपीएस 600 वीर 31,3,17	30	60,000	2,167	-	-	30	2,167	57833	325	58158	1,842	2,167
कैन्स डिजिटल कॉर्पीयर (आईआर 2002न्ऱ) 17,11,16	1	69,983	40,155	-	-	1	40,155	29828	6,023	33851	34,132	40,155
कैन्स डिजिटल कॉर्पीयर (आईआर 2002न्ऱ) 9,3,17	1	69,950	40,936	-	-	1	40,936	29014	6,140	35154	34,796	40,936
वीथ अल्ला एचडी टीवी (55) 29,3,17	1	66,675	39,020	-	-	1	39,020	27655	5,853	33508	33,167	39,020
ऐफिंजेटर सोमसंग 321 लीटर 30,3,17	2	70,000	40,960	-	-	2	40,966	29034	6,145	33179	34,821	40,966
आईपी फैब्रिंग्स विस्टर्स्ट - मैट्रिस लौह 6 एस 30,3,17	1	159,185	93,159	-	-	1	93,159	66026	13,974	80000	79,185	93,159
मैट्रिस्ट डिजिटल कॉर्फन 30,3,17	2	12,000	7,023	-	-	2	7,023	4977	1,053	6030	5,970	7,023
मैट्रिस्ट आईपी फैबन - वीपी 28 एसई 30,3,17	5	39,700	23,233	-	-	5	23,233	16467	3,485	19,952	19,748	23,233
मैट्रिस्ट आईपी फैबन - वीपी 110,30,3,17	30	120,000	70,227	-	-	30	70,227	49773	10,534	60307	59,693	70,227
पीओई कॉर्साथ आईपी फैब 1,5,17	68,000	2,456	-	-	-	2,456	-	65544	368	65912	2,088	2,456
जोएसझी - 10 आर्डे फिट 7,9,17		3,749	135	-	-	135	3,614	20	-	3634	115	135
मैट्रिस्ट जीई वीएमएस- 16 कार्ड 4,12,17		24,869	16,830	-	-	16,830	8039	2,525	10564	14,305	16,830	
हेलत्स ऑग्यल किल्ड रेडियोर रूम हीट 6,3,18		133,030	94,592	-	-	94,592	38438	14,189	52627	80,403	94,592	

कन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

एनोटेशन										29
पुस्तकोंचे नाव	सम्पूर्णग्रहण के समय इमिल्यूल्युशन फिरवम	-	-	-	-	-	-	-	0	-
प्रेपर अंडेज एवं रस्स	1 71,726 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फोटोलॉगिक रस्स	1 14,472 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फोटोलॉगिक रस्स (डिस्ट्रॉक्सी 123 कॉर्पोरेट ग्रिट)	1 351,380 12,694	-	-	-	-	1 335 484	71391 13988	50 73	71441 14061	285 111 411 484 335
हीट लॉटर	1 1,360 49	-	-	-	-	1 49 12,694	338686 1,904	340590 10,790	12,694 10,790	
अंकित फॉर्म	1 768 27	-	-	-	-	1 27 1311	7 1318	42 4	42 49	
भैरविक टेलिफोन व्हालन ग्रिटम	1 12,350 2,846	-	-	-	-	1 2,846 741	4 745	23 4	23 27	
क्लान व्हाल कॉर्पोरेट	6 7,358 266	-	-	-	-	6 266 7092	40 40	7132 7132	226 226	266
क्लिंग मध्यन अंकित 40	1 129,353 22,431	-	-	-	-	1 22,431 106922	3,365 3,365	110287 110287	19,066 19,066	22,331
क्लिंग बैक के लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जॉर्डन एम्पीन डेल्वर्सी -5745 वर्ष -2013)	1 307,534 75,315	-	-	-	-	1 75,315 232219	11297 245516	64,018 64,018	75,315 75,315	
टेलीफोन इन्स्ट्रॉक्चर (अमर्स्ट-2013)	24 14,700 3,642	-	-	-	-	24 3,642 11058	546 11604	3,096 3,096	3,642 3,642	
क्लिंग मध्यन-सेमन्टा (स्पष्ट- 631) (टिक्किंग- 13)	1 14,595 3,908	-	-	-	-	1 3,908 10687	586 11273	3,322 3,322	3,908 3,908	
बायोमेट्रिक ऑडेंस ग्राहन (पृ. 300) (3/13)	1 14,490 4,005	-	-	-	-	1 4,005 10485	601 11086	3,404 3,404	4,005 4,005	
टेलीफोन इन्स्ट्रॉक्चर (मार्च -2013)	1 1,299 47	-	-	-	-	1 47 1,252	7 1259	40 40	47 47	
हीट कॉर्पोरेट (कॉर्पोरेट)	7 11,812 3,670	-	-	-	-	7 3,670 8142	551 8693	3,119 3,119	3,670 3,670	
इन्सिक्युरिक टेलीफोन	1 1,000 310	-	-	-	-	1 310 690	47 73	263 263	310 310	
यूएसएल एलोनी 600 वीए (30/7/2015)	3 9,788 4,384	-	-	-	-	3 4,384 5404	658 6062	3,726 3,726	4,384 4,384	
टेलीफोन इन्स्ट्रॉक्चर	15 11,498 416	-	-	-	-	15 416 11082	62 11144	354 354	416 416	
ज्वान शिप्पर्टम	1 4,500 162	-	-	-	-	1 162 164,333	24 4338	138 138	162 162	
जॉर्डन और ट्रॉली के साथ इन्टर्न (05-11-2018)	2 248,340 175,907	-	-	-	-	2 11574 72433	24,650 97083	139,683 139,683	175,315 175,315	
जॉर्डन मध्यन (29/03-2019)	1 85,100 72,335	-	-	-	-	1 85,100 12,765	12,765 25530	59,550 59,550	72,335 72,335	
जॉर्डन एसिड एसीट एसी 2 लान (31-05-2019)	1 55987 47,589	-	-	-	-	1 55987 8398	8,398 16796	39,191 39,191	47,589 47,589	
जॉर्डन एएर कंपनीजन (24-06-2019)	1 45989 39,091	-	-	-	-	1 45989 6898	6898 13796	32,193 32,193	39,091 39,091	
जॉर्डन एसीट फॉन (08-08-2019)	4 4,152 4,152	-	-	-	-	4 4,152 4,885	733 1466	3,419 3,419	4,152 4,152	
जॉर्डन एसीट फॉन (19-08-2019)	8 15,115 12,848	-	-	-	-	8 15,115 12,677	12,677 24,530	10,534 10,534	12,848 12,848	
जॉर्डन विसिटर (30-08-2019)	1 163,669 139,119	-	-	-	-	1 163,669 24,550	24,550 49,100	114,569 114,569	139,119 139,119	
नाइकोर अंतर्वान (30-08-2019)	2 20000 17,000	-	-	-	-	2 20000 30000	3,000 60000	14,000 14,000	17,000 17,000	
बुद्धरादेवी ज्यामो लोगोन्हायर एम्प्रिट (09-02-2019)	4 175,184 162,045	-	-	-	-	4 175,184 13139	13,139 13139	26278 26278	148,906 148,906	162,045 162,045
सिंचित एएर कंपनीजन (16-01-2020)	1 32999 30,524	-	-	-	-	1 32999 2475	2475 4950	28,049 4950	30,524 30,524	
आंकेमेटिक सेस्टोटाइक्ट (22/06-2020)	-	-	-	-	-	2 14998 2,677	0 2,677	0 2,677	12,748 12,748	-
भैरविक टेलीफोन हीटर (23/07-2020)	-	-	-	-	-	2 6776 0	0 1,016	10,16 10,16	5,760 5,760	-
झौमियेस थोरल 600 तो 650 (17/08/2020)	-	-	-	-	-	9 19296 0	0 2,894	2,894 2,894	16,402 16,402	-
फॉटोटर्म जैरी (24-08-2020)	1 14,500 -	-	-	-	-	1 14,500 0	0 1,450	1,450 1,450	13,050 13,050	-
एक्सट्रिट फॉन (15/09/2020)	1 1,500 -	-	-	-	-	1 1,500 0	0 225	225 225	1,275 1,275	-
नाइकोर एक्सेंटिव यूपीसी (11/01/2021)	1 4,698 -	-	-	-	-	1 4,698 0	0 352	352 352	4,346 4,346	-
मध्यमांतर अंतर्वान (08/02/2021)	2 14,400 -	-	-	-	-	2 14,400 0	0 1,080	1,080 1,080	13,320 13,320	-
नाइकोर अंतर्वान (23/03/2021)	1 9,799 -	-	-	-	-	1 9,799 0	0 735	735 735	9,064 9,064	-
हिंदूची एएर कंपनीजन (30/03/2021)	2 78480 -	-	-	-	-	2 78480 0	0 5,886	5,886 5,886	72,593 72,593	-
कुल	3,362,156 1,575,289	-	-	-	-	164,447 11,574	1,728,162 1,736,867	245,965 2,032,832	1,482,197 1,575,289	
ग. काम्यांतर संसाधन उपकरण (40%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
काम्यांतर (एसएस) फॉन्ट कॉर्ट (6/6/2008)	7 265,511 2,620	-	-	-	-	7 2,620 262891	1,048 263939	1,572 1,572	2,620 2,620	
संसर (एसएस) इटेल इन्वल कॉर्ट (1/27/11)	1 206,905 3,724	-	-	-	-	1 3,724 203181	1,490 204671	2,234 2,234	3,724 3,724	
काम्यांतर (एसएस) फॉन्ट कॉर्ट कॉर्ट 15	7 276,312 4,973	-	-	-	-	7 4,973 271339	1,989 273328	2,984 2,984	4,973 4,973	
नाइकोर एक्सेंटिव यूपीसी (11/01/2021)	7 112,482 2,024	-	-	-	-	7 2,024 10458	810 111268	1,214 1,214	2,024 2,024	
मिट्र (एम्प्रिटोनमोथिएलो) एम्प्रिट	3 35,278 635	-	-	-	-	3 635 3,643	254 3,4897	381 381	635 635	
फिटर कॉर्ट (एक्सेंटिव)	2 71,838 1,293	-	-	-	-	2 1,293 70545	517 71062	776 776	1,293 1,293	
प्रेटोनेट के साथ डेस्ट्रॉन फॉन्टरस	14 618,324 11,132	-	-	-	-	14 11,132 607292	4,453 611745	6,679 6,679	11,132 11,132	
एची प्रिटर (अमर्स्ट-2013)	7 78,071 1,405	-	-	-	-	7 1,405 76666	562 77228	843 843	1,405 1,405	
एलईटी एसीटोनमोथिएलो 42 इंवर (29/10/14)	1 42,000 756	-	-	-	-	1 756 41244	302 41546	454 454	756 756	
संसर तथा कॉर्ट के लायर एम्प्रिट (एम्प्रिट 3/2/15)	1 14,800 266	-	-	-	-	1 266 14534	196 14640	160 160	266 266	
प्रिटर लॉटर जैट एम्प्रिट (एम्प्रिट 3/1/15)	4 98,700 1,777	-	-	-	-	4 1,777 96923	711 97634	1,066 1,066	1,777 1,777	

(भुरेंग कुमार)

लेखा आधिकारी, कारा

(डा. ज्याननाथ पाटी)

संस्कृत निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

ह/-

इनी कुली गोल 14/10/2015 आरोपण नियम के साथ कम्पनी (10/2/2016)*	1	54,000	4,561	-	-	-	-	1	4,561	494,39	1,824	51,263	2,737	4,561	30
कम्पनी एकाउंट 12/09/2015	12	680,659	89,830	-	-	-	-	12	89,830	590,829	35,932	62,6761	53,888	89,830	
कम्पनी एकाउंट 12/09/2015	16	863,537	113,966	-	-	-	-	16	113,966	795,71	45,586	67,157	68,380	113,966	
कम्पनी एकाउंट 12/09/2015	8	124,195	16,390	-	-	-	-	8	16,390	107,805	6,556	11,4361	9,834	16,390	
कम्पनी मर्गीन ईलेव्ह 24* 21/02/2016	2	28,080	3,824	-	-	-	-	2	3,824	25,156	1,530	26,886	2,294	3,824	
एकली शेयरों पर 800 एकाउंट 12/09/2016	1	5,535	707	-	-	-	-	1	707	46,48	283	41,71	4888	625	1,042
एकली शेयरों पर 800 एकाउंट 12/09/2016	1	5,513	1,042	-	-	-	-	1	1,042	4471	417	4,315	2,3265	2,599	4,315
एकली शेयरों पर 800 एकाउंट 12/09/2016	1	28,080	4,315	-	-	-	-	1	4,315	77,97	12,070	84,79	1,034	1,706	
एकली शेयरों पर 800 एकाउंट 12/09/2016	1	9,503	1,706	-	-	-	-	1	1,706	97,424	12,070	104,94	18,106	30,176	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 22/2/2017	4	127,600	30,176	-	-	-	-	4	30,176	150,730	15,0870	165,62	20,388	46,730	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 22/2/2017	4	197,600	46,730	-	-	-	-	4	46,730	69,243	22,5557	72,697	25,254	41,546	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 22/2/2017	4	292,890	69,243	-	-	-	-	4	69,243	23515	3,199	27714	4,798	7,997	
कम्पनी एकाउंट 24* एकाउंट 30/1/2017	2	32,512	7,997	-	-	-	-	5	7,997	27714	152	208,66	248	380	
कम्पनी एकाउंट 8 एकाउंट 30/1/2017	5	21,094	2,890	-	-	-	-	1	2,890	7634	996	86,30	1,495	2,491	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	1	10,125	1,711	-	-	-	-	8	1,711	542,89	7,084	63,73	10,627	17,711	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	8	72,000	8,413	-	-	-	-	4	8,413	25,873	10,52	50,048	8,413	26,290	
कम्पनी एकाउंट 16 एकाउंट के साथ 12 दीवी हार्ड जिक्र 31/3/2017	1	106,875	26,290	-	-	-	-	1	26,290	80585	10,516	91,101	15,774	26,290	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	8	457,512	112,543	-	-	-	-	8	112,543	344969	45,017	389986	67,536	112,543	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	1	62,000	15,251	-	-	-	-	1	15,251	46749	6,100	53849	9,151	15,251	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	1	21,800	5,363	-	-	-	-	1	5,363	16437	2,145	18582	3,218	5,363	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	2	131,000	32,224	-	-	-	-	2	32,224	87,76	12,890	111666	19,334	32,224	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	4	150,000	36,898	-	-	-	-	4	36,898	113102	14,759	128,861	22,139	36,898	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	4	36,000	8,835	-	-	-	-	4	8,835	27145	3,542	30687	5,313	8,835	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	4	6,350	1,864	-	-	-	-	1	1,864	4486	746	5,323	1,118	1,864	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	13,500	3,962	-	-	-	-	-	1	3,962	9538	1,585	11123	2,377	3,962	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	7,700	2,636	-	-	-	-	-	1	2,636	5074	1,050	61,24	1,576	2,626	
कम्पनी एकाउंट 10/08/2021 एकाउंट 31/3/2017	1	16500	297	-	-	-	-	1	297	16203	119	16322	178	297	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	1	11,934	215	-	-	-	-	1	215	11719	86	11805	129	215	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	1	500	9	-	-	-	-	1	9	491	4	495	5	9	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	1	4,950	89	-	-	-	-	1	89	4861	36	8897	53	89	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	1	64039	1,153	-	-	-	-	1	1,153	461	63347	692	1,153		
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	1	4,600	83	-	-	-	-	1	83	4517	33	4550	50	83	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	1	1,365	25	-	-	-	-	1	25	1340	10	1,350	15	25	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	2	14,605	263	-	-	-	-	2	263	14342	105	14449	158	263	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	4	249,596	129,900	-	-	-	-	4	129,900	119806	51,916	171722	77,874	129,900	
एकाउंट लेनदेन एकाउंट 10/08/2021	1	3450	1,932	-	-	-	-	1	1,932	1518	773	2291	1,159	1,932	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	10	6890	4,134	-	-	-	-	10	4,134	2756	1,654	4410	2,480	4,134	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	1360	816	-	-	-	-	1	816	544	326	870	490	816	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	1,360	780	-	-	-	-	1	780	520	312	832	1,174	780	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	5	279995	167,997	-	-	-	-	5	167,997	111998	67,199	17197	100,798	167,997	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	3	33997	47,198	-	-	-	-	3	47,198	6799	1,0879	17,784	16,319	47,198	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	59708	40,666	-	-	-	-	1	40,666	11942	19,106	30483	28,660	40,666	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	4068	3,254	-	-	-	-	1	3,254	2899	814	1,302	2116	1,952	3,254
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	4	195957	2899	-	-	-	-	4	195,957	0	78,383	73,833	117,749	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	84573	1	-	-	-	-	1	845,73	0	16,915	1,6915	67,638	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	59278	1	-	-	-	-	1	59278	0	11,836	11,836	47,422	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	80298	1	-	-	-	-	1	80,298	0	16,060	16,060	64,238	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	20	14801	0	-	-	-	-	20	14,801	0	2,960	2,960	11,841	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	14988	1	-	-	-	-	1	14,988	0	2,998	2,998	11,990	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	2	99330	2	-	-	-	-	2	99,330	0	19,866	19,866	79,464	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	3	286034	3	-	-	-	-	3	286,034	0	20,700	20,700	22,827	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	2	10300	2	-	-	-	-	2	10,300	0	5,336	5,336	4,944	-	-
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	6,160,168	1,081,764	848,458	-	-	-	-	6,160,168	1,081,764	645,465	5,723,869	1,284,757	1,081,764		
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	45,521	374	-	-	-	-	-	45,521	374	-	-	0	374	374	
प्राप्तकरता की संरक्षण															
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	1	4,500	4,162	-	-	-	-	1	4,162	338	312	650	3,830	4,162	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	2	246,380	118,262	-	-	-	-	2	118,262	128,118	47,305	175,23	70,957	118,262	
ग्राहक एकाउंट 31/3/2019	1	24,869	19,895	-	-	-	-	1	19,895	4974	342	5316	19,553	19,895	
ग्राहक एकाउंट 31/3/2019	1	67,248	53,798	-	-	-	-	1	53,798	13450	1,760	242,10	43,038	53,798	
ग्राहक एकाउंट 31/3/2019	7	78,400	62,720	-	-	-	-	7	62,720	156,80	16,986	326,66	45,734	62,720	
सिवायिका एकाउंट 31/3/2019	1	5,398	3,259	-	-	-	-	1	3,259	2159	-	2159	3,239	3,239	
कम्पनी एकाउंट 31/3/2019	426,795	262,076	-	-	-	-	-	426,795	207,000	469,076	164,719	117,105	28,824	351,971	
वोय															
सकल गोपा	14,965,527	5,359,897	11,574	-	-	-	-	6,568,228	9,560,483	1,252,578	10,813,061	5,315,650	5,359,897		

मर्यादित विवरण

(डि. जनाननाथ पाति)

संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-

(पुरेश कुमार)

लेखा अधिकारी, कारा

ह/-

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकारण
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, हितोय तल, आर.के. पुरुष, नई दिल्ली-110066

31

प्रशिक्षण और जागालकता कार्यक्रम के लिए अधिकारी	निर्मिति की तारीख	राशि	अनुलग्नक-खाता
31.3.2021 की स्थिति के अनुसार	19.8/10.9.2008	618,860	
क्र.सं. गैर-सरकारी संगठन / सरकारी कार्यालय का नाम			अभ्युक्त
1 आईसीसीडब्ल्यू नई दिल्ली			
2 यसोदा पुणे		55,000	
3 निदेशक, म.बा.वि., रायपुर	03.06.2010	164,320	
5 निदेशक, म.बा.वि., ओंध प्रदेश	24.02.2011	248,808	
6 राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागार्लेंड	02.09.2011	99,704	
7 आईसीडीएस, सोसायटी, बैंगलुरु	20.10.2011	54,400	
9 अध्यक्ष, वैन्साइ, हैदराबाद	17.01.2014	20,239	
10 आयुक्त एवं राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे	16.12.2014	237,510	
11 निदेशक, गोवा लोक प्रशासन संरचना	10.03.2015	109,592	
13 निदेशक, समाज कल्याण एवं बाल संरक्षण सोसायटी, रांची	10.12.2015	199,490	
14 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला एवं बाल एपीएसपीई, विजयवाड़	10.03.2016	132,329	
16 महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	19.01.2018	390,240	
17 महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	22.02.2018	117,173	
18 निदेशक, आईसीपीएस, सिक्किम	13.03.2018	213,251	
19 कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	15.03.2018	475,661	
25 कर्नाटक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	05-07-2019,	402,060	
26 निदेशक, बाल अधिकार, पश्चिम बंगाल	05-08-2019,	551,340	
27 निदेशक, समाज कल्याण, बिहार	17-09-2019,	758,760	
योग	4,948,737	-	

ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
लेखा अधिकारी, कार्य

ह/-
(डा. ज्योतिश पाठि)
समुक्त निदेशक, कार्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्य
ह/-

कर्मचारियों को ऋण / अग्रिम_		बकाया राशि	बकाया राशि	
	कर्मचारी का नाम	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार	आमूलित
क	त्यौहार अग्रिम :			
योग क				
ख	गुह निर्माण अग्रिम बिनोद कुमार – उप निदेशक	2,030,500	-	
ग	काम्यूटर अग्रिम :	35,000	-	
घ	कार अग्रिम :			
ड	स्फुटर अग्रिम_			
	श्री सी.एस. भवता – अ.श्र.लि.	-	4,500	
च	यात्रा भत्ता अग्रिम आशुतोष – स.नि.	-	23,000	-
छ	विकित्सा अग्रिम	692,800	-	
	संजय कुमार -डीईओ			
ज	अन्य			
	अचर्ना त्यागी	-	-	
	अपर्णा शर्मा		-	
	दीपक राठोर	5,000	5,000	
	सी.एस. भवता	-	9,000	
	योग ख	2,763,300	41,500	
	सकल योग (का+ख+ग)	2,763,300	41,500	

ह/-
(युरेश कुमार)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डॉ. जगन्नाथ पाति)
संस्कृत निदेशक, कारा

ह/-
मुख्य कार्यालयी अधिकारी, कारा

वित्तीय विवरण
अनुलापनक 'ग'
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण
पश्चिमी बंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरा, नई दिल्ली-110066

31/03/2021 की स्थिति के अनुसार व्यय हेतु प्रावधान

क्र.सं.	व्यय शेष	व्यय का विवरण	राशि
1	पिछले वर्ष के प्रावधान (शेष)	के.लो.नि.वि. के लिए अग्रिम	0.00
	सकल योग		0.00

ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
लेखा अधिकारी, कारा

ह/-
(डा. ज्योतिश पटेल)
समृद्धि निदेशक, कारा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा



टिप्पणी

“प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।”



केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

पश्चिमी खंड -8, विंग-2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
टोल फ़ी नं. 1800-11-1311, फैक्स- 91-011-26180198

ईमेल— cara@nic.in,

वेबसाइट— www.cara.nic.in



CARA

केन्द्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम,
नई दिल्ली-110 066

टोल फ्री नं. 1800-11-1311, टेलीफैक्स : +91-11-26180198
ई-मेल: carahdesk.wcd@nic.in
वैबसाइट: www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority

Ministry of Women & Child Development, Government of India
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R. K. Puram,
New Delhi-110 066
Toll Free No.: 1800-11-1311, Telefax: +91-11-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in
Website: www.cara.nic.in